

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

**दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा)
टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश, 2007
(2007 का संख्यांक 3)**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर, 2007

सं० 1-1/2007-बीएंडसीएस – भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं० 39 जो, –

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (2) तथा उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 1 में, उप-खंड (ii) में, "भारत" शब्द के पश्चात, "केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क की उप-धारा (1) के अंतर्गत, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट राज्यों, शहरों, कस्बों और क्षेत्रों को छोड़कर," शब्द, कोष्ठक, संख्याएं और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 2 में,—

(i) उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“(क) **“एड्रैसेबल सिस्टम”** से अभिप्रेत है एकीकृत प्रणाली में रखा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनके माध्यम से टेलीविजन के सिगनल एनक्रिप्टेड अथवा अन-एनक्रिप्टेड रूप में भेजे जा सकते हैं, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा सब्सक्राइबर के लिए ऐसे सब्सक्राइबर की रूचि और अनुरोध पर, दिए गए प्राधिकार की सीमाओं के भीतर सब्सक्राइबर के परिसर में उपकरण या उपकरणों द्वारा डि-कोड किया जा सकता है;

(कक) **“प्राधिकरण”** से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण;

(ककक) **“प्रसारक”** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें शामिल है कोई समष्टि, व्यक्तियों का समूह, निगमित निकाय, फर्म अथवा कोई संगठन अथवा निकाय जो

कार्यक्रम सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा इसमें शामिल है उसकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां;”;

(ii) उप-खंड (च) में,—

(क) मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

“(i) सभी सामान्य केबल सब्सक्राइबर्स तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स, नीचे (ii) में निर्दिष्ट को छोड़कर, को उपलब्ध कराई गई प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित लिखित/मौखिक करार के फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय दरें (करों को छोड़कर)। दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित लिखित/मौखिक करार में लागू सिद्धांत उक्त दरों के अवधारण के लिए लागू किया जाएगा।”;

(ख) मद (ii) में “के लिए” शब्दों के स्थान पर, “को प्रदान की गई प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद (ii) के नीचे स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“स्पष्टीकरण 2.— इस उप-खंड की मद (i) में विनिर्दिष्ट लिखित/मौखिक करार में लागू सिद्धांत दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच किए गए सभी नए लिखित/मौखिक करारों के लिए भी लागू होगा।”

(iii) उप-खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“(छ) इस आदेश में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य

सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या अन्य विनियमों, में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 3 में, उप-खंड (ग) के पश्चात,—

(क) "26.12.2003 को प्रचलित" शब्दों और संख्याओं के साथ शुरू होने वाले तथा "फ्री-टु-एयर और पे-चैनलों दोनों के संबंध में" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"फ्री-टु-एयर तथा पे-चैनल दोनों के मामले में दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित, तथा चार प्रतिशत से अनधिक राशि द्वारा बढ़ाई गई सीमा निम्न के संबंध में होगी—

(क) मल्टी सिस्टम प्रचालकों द्वारा केबल प्रचालकों को, तथा मल्टी सिस्टम प्रचालकों और केबल प्रचालकों द्वारा उपर्युक्त उप-खंड (क) में निर्दिष्ट सब्सक्राइबर्स को संप्रेषित और पुनःसंप्रेषित फ्री-टु-एयर और पे-चैनल, दोनों के संबंध में;

(ख) प्रसारक द्वारा मल्टी सिस्टम प्रचालकों, केबल प्रचालकों और उपर्युक्त उप-खंड (क) में निर्दिष्ट सब्सक्राइबर्स को संप्रेषित चैनलों के बुके (जिसमें केवल पे-चैनल अथवा फ्री-टु-एयर और पे-चैनल, दोनों शामिल हैं) तथा किसी बुके का भाग न बन रहे स्टैंड-एलोन चैनलों के संबंध में";

(ख) स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 को उनके क्रमशः स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 2 से पूर्व, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"स्पष्टीकरण 1. ऊपर निर्दिष्ट की गई चार प्रतिशत की वृद्धि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां 26 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार विद्यमान प्रभार, जिन्हें 1 जनवरी, 2005 से 7 प्रतिशत बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, और 21 दिसम्बर, 2006 के पश्चात आगे चार प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं [खंड 3 में विनिर्दिष्ट चार प्रतिशत की सीमा होने के कारण (क्योंकि यह दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश, 2007)] द्वारा इसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी।

(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 2 की मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मर्दे अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

(ii) एमएसओ तथा केबल प्रचालक जिन्हें वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को सिगनल प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है

(iii) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर।

(घ) प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“ परंतु यह कि यदि कोई नया/नए पे-चैनल जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन के पश्चात प्रारंभ किया गया हो/किए गए हों, अथवा कोई चैनल, जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को फ्री-टु-एयर चैनल था/थे, पे-चैनल में बदल दिया जाता है/दिए जाते हैं, तो ऊपर निर्दिष्ट की गई सीमा को बढ़ाया जा सकता है, परंतु केवल तभी, यदि नया/नए चैनल स्टैंड एलोन आधार पर उपलब्ध कराया जाता है/कराए जाते हैं, चाहे वैयक्तिक रूप से अथवा नए, पृथक बुके के भाग के रूप में। वह सीमा जिस तक उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा को बढ़ाया जा सकता है, नए चैनल(लों) के लिए दरों तक सीमित होगी। नए चैनल के लिए तथा ऐसे चैनल(लों) के लिए, जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को फ्री-टु-एयर था/थे तथा उन्हें बाद में पे-चैनल(लों) में बदल दिया गया, दरें, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को और/अथवा नए चैनल के ऐसे प्रारंभ करने अथवा फ्री-टु-एयर चैनल को पे-चैनल में ऐसे बदले जाने की तारीख को विद्यमान सदृश चैनल के समान होनी चाहिए;”

(ङ) द्वितीय परंतुक में,—

(क) “कोई प्रसारक अथवा” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “26.12.2003 को दर्शाए गए” शब्दों के स्थान पर “दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को दर्शाए गए” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) “26.12.2003 को” शब्दों के स्थान पर “दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को और/अथवा पे-चैनलों की संख्या में ऐसी कमी की तारीख को विद्यमान” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(च) तृतीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“परंतु यह और कि ऊपर उप-खंड (क) में निर्दिष्ट प्रभार किसी भी स्थिति में इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के, यथास्थिति, भाग— I अथवा भाग— II में विनिर्दिष्ट प्रभारों की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होंगे।”।

5. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 3ख में,—

(क) मद (i) के पश्चात, “और” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) मद मद (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

“(ii) बुके (बुकों) के मूल्य और विद्यमान बुकों के मूल्यों में समान प्रकृति और भाषा के विद्यमान चैनलों पर अधिरोपित मूल्यों की परिधि।”

6. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 3ख के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

“3ग. प्रसारकों द्वारा चैनल प्रदान करने की रीति

(1) प्रत्येक प्रसारक भेदभावरहित आधार पर, यथास्थिति, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर को अला-कार्टे आधार पर इसके सभी चैनल प्रदान करेगा या उपलब्ध कराएगा तथा वह इस खंड के उप-खंड (2) और खंड 3 और 3ख के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक ऐसे पे-चैनल के लिए अला-कार्टे दर निर्दिष्ट करेगा:

(2) यदि कोई प्रसारक अपने सभी चैनलों का अला-कार्टे आधार पर प्रदान करने के अलावा, उप-खंड (1) के उपबंधों से पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या किसी केबल ऑपरेटर को ऐसे बुके, जिसमें केवल पे-चैनल अथवा पे-चैनल और फ्री-टु-एयर चैनल दोनों हों, के एक भाग के रूप में पे-चैनल उपलब्ध कराता है, तो

ऐसे बुके के लिए प्रभारित दर और उस बुके के एक भाग बन रहे ऐसे चैनलों के लिए अला-कार्टे दरें निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होंगी, अर्थात् –

(क) ऐसे किसी बुके के भाग बन रहे पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों का योग किसी भी स्थिति में उसे बुके की दर के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगा, जिसका ये पे-चैनल एक भाग हैं; और

(ख) ऐसे बुके का भाग बन रहे प्रत्येक पे-चैनल की अला कार्टे दरें, किसी भी स्थिति में, उस बुके के किसी पे-चैनल की औसत दर के तीन गुने से अधिक नहीं होंगी, जिसका ऐसा पे-चैनल एक भाग है और बुके में एक पे-चैनल की औसत दर निम्नलिखित तरीके से आकलित की जाएगी, अर्थात्: –

यदि प्रति सब्सक्राइबर बुके दर 'एक्स' रुपए प्रतिमाह है और एक बुके में पे-चैनलों की संख्या "वाई" है तो बुके की औसत पे-चैनल दर 'एक्स' भाग पे-चैनलों की संख्या 'वाई' होगी ।

परन्तु यह कि जहां तक उस बुके में पे-चैनलों का संबंध है, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके की संरचना को नहीं बदला जाएगा;

परन्तु यह और कि,—

(i) ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान पे-चैनल को प्रसारण हेतु या वितरण हेतु उपलब्ध कराना बंद कर देता है, तो उस तारीख को विद्यमान ऐसे पे-चैनल वाले बुके की दर में उसी अनुपात में कटौती की जाएगी जिसमें उक्त पे-चैनल की अला-कार्टे दर उक्त बुके में शामिल सभी पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों के सकल योग के समान वहन करती है;

(ii) ऐसे मामलों में, जहां दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके में फ्री-टु-एयर तथा पे-चैनल, दोनों उपलब्ध हैं और यदि उस तारीख के बाद फ्री-टु-एयर चैनल को पे-चैनल में बदल दिया जाता है तो उक्त विद्यमान बुके (उक्त

फ्री-टु-एयर चैनल को छोड़कर) को ऐसे बुके के लिए उस तारीख को विद्यमान दरों पर या उससे कम दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(iii) ऐसे मामलों में, जहां दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके में फ्री-टु-एयर और पे-चैनल, दोनों उपलब्ध हैं और उस तारीख के बाद किसी पे-चैनल को फ्री-टु-एयर चैनल में बदल दिया जाता है तो, उक्त विद्यमान बुके को, ऐसे बुके के लिए उस तारीख को प्रचलित दर को, इस प्रकार परिवर्तित ऐसे फ्री-टु-एयर चैनल के साथ अथवा उसके बिना, उस राशि से घटाने के पश्चात, उपलब्ध कराया जाएगा जो उस राशि से कम नहीं होगी जो वही अनुपात वहन करती है, जोकि उक्त पे-चैनल की अला-कार्टे दर उक्त बुके में शामिल सभी पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों के कुल योग का वहन करती है।

(3) कोई प्रसारक, उप-खंड (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा इस टैरिफ आदेश के अन्य उपबंधों से पूर्वापेक्षा रखे बिना, अपने चैनलों की अला-कार्टे दरों अथवा बुके दरों पर मल्टी-सिस्टम प्रचालकों और केबल प्रचालकों को छूट प्रदान कर सकेगा तथा छूटों की ऐसी पेशकश का प्रभाव, किसी भी दशा में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उप-खंड (2) के उपबंधों और इस टैरिफ आदेश के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन के रूप में नहीं होगा।”।

7. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

“4. प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता

(1) खंड 3ग के उपबंधों के अध्यक्षीन, प्रत्येक प्रसारक दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन से सात दिन के भीतर, प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(क) प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी फ्री-टु-एयर चैनलों के नाम, प्रकृति और भाषा;

- (ख) प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रत्येक पे-चैनल का नाम, अला-कार्टे दर, प्रकृति और भाषा;
- (ग) प्रत्येक बुके की कीमतों सहित प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी बुकों की सूची, जिसमें बुकों में अन्य चैनलों के स्वामियों के नामों के साथ उसमें शामिल सभी पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के नाम दर्शाए गए हों;
- (घ) बुके में चैनलों के स्वामियों के बीच राजस्व साझेदारी व्यवस्था;
- (ङ) सभी पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के लक्षित दर्शक (राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक, यदि प्रादेशिक हों तो राज्य/राज्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए)
- (च) क्या पे-चैनल पूरे देश में पे-चैनल है अथवा केवल देश के किसी भाग में है (यदि चैनल देश के भाग में पे-चैनल है, तो राज्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए);
- (छ) पिछले तीन वर्षों के लिए विज्ञापन राजस्व;
- (ज) प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे फ्री-टु-एयर चैनलों, पे-चैनलों, अला-कार्टे दरों और बुकों से संगत कोई अन्य जानकारी।
- (2) प्रत्येक ब्राडकॉस्टर, जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन के बाद, –
- (क) किसी नए पे-चैनल या फ्री-टु-एयर चैनल को शुरू करता है; या
- (ख) किसी पे-चैनल को फ्री-टु-एयर चैनल में बदलता है; या
- (ग) किसी फ्री-टु-एयर चैनल को पे-चैनल में बदलता है; या
- (घ) किसी फ्री-टु-एयर चैनल या पे-चैनल को बंद करता है; या
- (ङ) किसी नए बुके को शुरू करता है या किसी बुके को बंद करता है या किसी बुके में परिवर्तन करता है;

वह, ऐसी शुरुआत या परिवर्तन या समाप्ति के बारे में सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को उप-खंड (1) की मद (क) से (ज) में अपेक्षित जानकारी देगा।

- (3) प्रत्येक प्रसारक उप-खंड (1) की मद (घ) और (ज) को छोड़कर उप-खंड (1) और (2) के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

4क. प्राधिकरण की हस्तक्षेप करने की शक्ति

प्राधिकरण, इसके द्वारा बनाए गए आदेश या जारी किए गए निदेश द्वारा इस टैरिफ आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं के सब्सक्राइबरों और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं के संवर्धन और उनका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और उनके प्रचालन में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि ऐसी सेवाओं के विकास को सहायता मिल सके, हस्तक्षेप कर सकेगा।

4ख. रसीद और बिल जारी करना

(1) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या प्रसारक, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सब्सक्राइबर को ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा प्रत्येक माह के लिए अथवा ऐसी अन्य अवधि के लिए बकाया और देय प्रभारों के बिल देगा जिसमें ऐसे प्रभार सब्सक्राइबर पर देय बन जाते हैं।

(2) उप-खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बिल में, यथास्थिति, ऐसे केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर अथवा प्रसारक द्वारा उपलब्ध कराए गए पे तथा फ्री-टु-एयर चैनलों की कुल संख्या, लगाए गए प्रभार (करों को छोड़कर), लगाए गए प्रभारों की प्रकृति और दर तथा उसकी राशि सहित सभी संगत ब्यौरे शामिल होंगे।

(3) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या प्रसारक, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सब्सक्राइबर को, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन के पश्चात उप-खंड (1) के अनुपालन में ऐसे सब्सक्राइबर का दिए गए प्रथम बिल के साथ, सब्सक्राइबर को प्रदान किए जा रहे सभी पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की एक सूची देगा। इसके पश्चात, सब्सक्राइबर को प्रदान किए जा रहे पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों में किसी परिवर्तन की लिखित सूचना भी ऐसे परिवर्तन के पश्चात दिए सब्सक्राइबर को दिए गए आगामी बिल के साथ दी जाएगी।

(4) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या प्रसारक, जैसा भी मामला हो, सब्सक्राइबर द्वारा किए गए सभी भुगतानों के लिए इसके द्वारा विधिवत रूप से

हस्ताक्षरित एक रसीद जारी करके पावती देगा जिसमें अवधि तथा उस प्रयोजन, जिसके लिए भुगतान लिया गया है तथा अन्य संगत विवरणों को दर्शाया जाएगा।

4ग. प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण

प्रत्येक प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर निम्न जानकारी के संबंध में पर्याप्त अभिलेख रखेगा –

- (क) प्रभारों में वृद्धि की तारीख;
 - (ख) वृद्धि की गई राशि;
 - (ग) पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो प्रभारों में ऐसी किसी वृद्धि या परिवर्तन या बुकों की संरचना में बदलाव से तत्काल पूर्व उपलब्ध थे।
 - (घ) पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो प्रभारों में ऐसी वृद्धि या परिवर्तन या बुकों की संरचना में बदलाव के तत्काल बाद उपलब्ध थे;
 - (ङ) अन्य सेवा प्रदाताओं के नाम, पते और उनसे संबंधित प्रभार, जिनसे प्रसारण सेवाएं अथवा केबल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;
 - (च) कोई अन्य जानकारी जो इस आदेश के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक हो।
- (2) उक्तसंदर्भित अभिलेख रखने के अलावा, प्रत्येक केबल प्रचालक अपने सभी सब्सक्राइबर्स के नाम, पतों तथा उनमें होने वाले किसी परिवर्तन आदि से संबंधित पूर्ण अभिलेख भी रखेगा।

4घ. एड्रसेबल प्रणालियों की गैर-प्रयोजनीयता

इस टैरिफ आदेश में अंतर्निहित उपबंध, खंड 3ग को छोड़कर, एड्रसेबल प्रणालियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से चैनलों के संप्रेषण अथवा पुनःसंप्रेषण के मामलों पर लागू नहीं होंगे।”

8. प्रधान टैरिफ आदेश की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) की अनुसूची (खंड - 3 देखिए)

भाग - I

गैर-कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को फ्री-टु-एयर चैनल और पे-चैनल, दोनों, को ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर (खंड 3 के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट) द्वारा देय प्रभार

क्र.सं.	केबल टेलीविजन नेटवर्क के से ट्रांसमिट और रि-ट्रांसमिट जाने वाले पे-चैनलों फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या		कॉलम (2) के अंतर्गत उल्लिखित पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए प्रथम टेलीविजन कनेक्शन हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर द्वारा देय प्रभारों की अधिकतम राशि (सभी करों को छोड़कर)		
	(2)	(3)			
(1)	पे-चैनल 2(क)	फ्री-टु-एयर चैनल 2 (ख)	ए-1 और ए श्रेणी के शहर 3 (क)	बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहर 3 (ख)	अन्य 3 (ग)
1.	बीस पे-चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	एक सौ साठ रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ चालीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ तीस रुपए मात्र से अधिक नहीं
2.	बीस से अधिक तथा तीस तक पे-चैनल	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	दो सौ रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ सत्तर रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ साठ रुपए से अधिक नहीं
3.	तीस से अधिक तथा पैंतालीस तक पे-चैनल	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	दो सौ पैंतीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ पिचासी रुपए मात्र से अधिक नहीं

4.	चालीस से अधिक पे-चैनल	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	दो सौ साठ रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ बीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ रुपए मात्र से अधिक नहीं
----	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

भाग – II

गैर-कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को केवल फ्री-टु-एयर चैनल (किसी पे-चैनल के बिना) ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर (खंड 3 के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट) द्वारा देय प्रभार

केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट किए जाने वाले फ्री-टु-एयर चैनलों की न्यूनतम संख्या	कॉलम (1) में निर्दिष्ट फ्री-टु-एयर चैनलों (किसी पे-चैनल के बिना) के लिए प्रथम टेलीविजन कनेक्शन हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर द्वारा देय प्रभारों की अधिकतम राशि (सभी करों को छोड़कर)
(1)	(2)
तीस फ्री-टु-एयर चैनल	सतहत्तर रुपए मात्र

टिप्पणी-1 सब्सक्राइबर द्वारा उसके समान परिसर पर उसके दूसरे तथा पश्चातवर्ती कनेक्शनों के लिए देय प्रभार की अधिकतम राशि वह होगी, जो ऐसे सब्सक्राइबर तथा, यथास्थिति, केबल प्रचालक अथवा मल्टी सिस्टम प्रचालक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत की जाए।

टिप्पणी-2 सभी केबल टेलीविजन नेटवर्कों के लिए यह अनिवार्य है कि वह न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनलों को ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट करें।

टिप्पणी-3 यदि किसी विशेष मामले में सेवाएं माह के एक भाग के लिए प्रदान की जाती हैं, तो ऐसे मामले में अनुसूची के भाग I के स्तंभ 3 (क), 3 (ख) और 3 (ग) तथा भाग II के स्तंभ (2) में दर्शायी गई सीमा का निर्धारण उस माह के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवा की अवधि के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी-4 अनुसूची के भाग I के कॉलम 3 (क) और 3 (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों का वर्गीकरण, वही वर्गीकरण होगा जैसाकि वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2(21)/स्था.।।(बी)/2004 के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजन से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में उल्लिखित किया गया है अथवा ऐसा अन्य वर्गीकरण होगा जैसाकि गृह किराया भत्ता की पात्रता के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट किया जाएगा।

(आर.एन. चौबे)

प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)

टिप्पणी 1: इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश, 2007 के उद्देश्य और कारणों का वर्णन करता है।

टिप्पणी 2: दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) में अधिसूचना सं० 1-29/2004-बीएंडसीएस के तहत दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 को प्रकाशित हुआ था तथा इसमें बाद में अधिसूचना सं० 1-29/2004-बीएंडसीएस दिनांक 26 अक्टूबर, 2004, सं० 1-29/2004-बीएंडसीएस दिनांक 1 दिसम्बर, 2004, सं० 1-13/2005-बीएंडसीएस दिनांक 29 नवम्बर, 2005, सं० 1-2/2006-बीएंडसीएस दिनांक 7 मार्च, 2006, सं० 1-2/2006-बीएंडसीएस दिनांक 24 मार्च, 2006, सं० 1-13/2005-बीएंडसीएस दिनांक 31 जुलाई, 2006 तथा सं० 1-19/2006-बीएंडसीएस दिनांक 21 नवम्बर, 2006 द्वारा संशोधन किए गए।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

प्रसारण तथा केबल टीवी क्षेत्र का विहंगमावलोकन

1.1 लाइसेंसिंग तथा अनुमति तथा साथ ही प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर का कंटेंट विनियमन मुख्यतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में आता है जबकि कैंरिज विनियमन का कार्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) देखता है। कैंरिज विनियमन का यह दायित्व प्राधिकरण को 2004 में सौंपा गया था। प्राधिकरण ने इसके बाद से ट्राई अधिनियम, 1997 के अनुसार इसे प्रदत्त अनुशासनात्मक और अनिवार्य, दोनों ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अनेक पहलें की हैं।

1.2 ऐसी एक महत्वपूर्ण पहल केबल सब्सक्राइबर्स, केबल प्रचालकों और मल्टी सिस्टम प्रचालकों से मिलकर बनी केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन श्रृंखला में विभिन्न पणधारकों द्वारा देय टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश जारी करना था।

विद्यमान टैरिफ प्रावधान

1.3 दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेश

कहा गया है) में निहित प्रावधान और इसके उत्तरवर्ती संशोधन गैर-कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ को नियंत्रित करते हैं। मोटे तौर पर, प्रधान टैरिफ आदेश यह उपबंधित करता है कि सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (जिसे इसमें इसके पश्चात एमएसओ कहा गया है) को और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को देय केबल प्रभार 26. दिसम्बर, 2003 को प्रचलित स्तर से अधिक नहीं बढ़ाए जाएंगे। उक्त आदेश में कतिपय शर्तों के अधीन नए पे-चैनलों की संख्या में वृद्धि या कमी की स्थिति में सीलिंग दरों में परिवर्तनों (वृद्धि और कमी, दोनों) के लिए भी प्रावधान किया गया है। प्रधान टैरिफ आदेश में समय-समय पर किए गए संशोधन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न का उपबंध करते हैं :-

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2005 से मुद्रास्फीति के कारण सीलिंग में सात प्रतिशत की वृद्धि (प्रधान टैरिफ आदेश में दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 के संशोधन द्वारा अनुमत्य);

(ख) प्रधान टैरिफ आदेश में दिनांक 29 नवम्बर, 2005 के संशोधन द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से मुद्रास्फीति के कारण चार प्रतिशत की और वृद्धि जिसका प्रचालन दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) द्वारा स्थगित कर दिया गया तथा इसके पश्चात, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 21 दिसम्बर, 2006 को अपील का निपटान कर दिया गया:-

“पक्षों के अभिवक्ता यह प्रतिवाद करने में समर्थ नहीं हुए हैं कि स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत की वृद्धि लागू नहीं की गई थी तथा आज यदि स्थगन आदेश समाप्त कर दिया जाता है, तो उस 4 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर, जिसे 1.1.2006 से लागू होना था, किसी भी राशि की वसूली करना असंभव होगा। हमें बताया गया है कि केबल और प्रसारण उद्योग के संबंध में टैरिफ को विनियमित करने के ट्राई के अधिकार-क्षेत्र के बारे में विधिक मामला 2005 की सी.डब्ल्यू.पी. सं० 24105

तथा 2006 की सी.डब्ल्यू.पी. सं० 5332 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अतः यह अपील आज वस्तुतः अव्यावहारिक बन गई है।

इन परिस्थितियों में, हम पक्षों को उच्च न्यायालय में लंबित पड़ी याचिकाओं में अंतर्निहित विधिक मुद्दे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र करते हुए इस अपील का निपटान करते हैं।

ट्राई इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या वह आगामी वर्ष के लिए दरों के संशोधन पर समान आदेश पारित करने की आवश्यकता समझता है।

अपील का निपटान किया जाता है।”;

(ग) समान चैनलों की समानता के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कारक (प्रधान टैरिफ आदेश के 31 जुलाई, 2006 के संशोधन द्वारा उपबंधित)।

(घ) व्यावसायिक ग्राहकों के लिए एक पृथक टैरिफ योजना (प्रधान टैरिफ आदेश में दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के संशोधन द्वारा उपबंधित)।

1.4 टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के दौरान, प्रसारकों से प्राप्त सामान्य फीडबैक ने दर्शाया कि प्रसारक नियंत्रणों को हटाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, मल्टी सिस्टम प्रचालक और केबल प्रचालक यह इंगित कर रहे हैं कि टैरिफ प्रणाली कनेक्टिविटी तथा प्रसारकों द्वारा बुके में चैनलों की बंडलिंग की प्रक्रिया के मुद्दे का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं। उपभोक्ता दरों में विविधता और एक प्रभावी तंत्र के अभाव के विरुद्ध शिकायतें कर रहे हैं जिससे यह पता चल सके कि उद्ग्रहित किए जाने वाले प्रभार वैध हैं। मुद्रा-स्फीति के कारण 4 प्रतिशत की वृद्धि के मामले पर टीडीसैट के समक्ष दायर एक अपील में कार्यवाहियों के दौरान एक उपभोक्ता संगठन ने वार्षिक वृद्धि तथा केबल प्रभारों में वृद्धि के लिए उपबंधों हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में भी प्रश्न किया।

1.5 माननीय टीडीसैट के आदेशों में की गई टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में तथा टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्राधिकरण का मत था कि आगे की कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए पणधारकों को शामिल करने के लिए एक औपचारिक परामर्श किया जाना चाहिए।

2. परामर्श प्रक्रिया

2.1 प्राधिकरण द्वारा 21 मई, 2007 को एक परामर्श-पत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा उसमें निर्दिष्ट मुद्दों पर विभिन्न पणधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को संकलित किया गया था तथा उनका सार संक्षिप्त रूप में ट्राई की वेबसाइट www.traai.gov.in पर 18.06.2007 को रखा गया था। इसके बाद, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ में क्रमशः दिनांक 4 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई और 13 जुलाई को ओपन हाउस चर्चाएं हुईं। दिल्ली में उपभोक्ता परामर्शी समूहों के साथ हुई एक विशेष बैठक में भी चर्चा की गई। प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह के साथ 11 सितम्बर, 2007 को तथा बहु-प्रणाली प्रचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह के साथ इन समूहों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध पर 14 सितम्बर, 2007 को बैठकें भी आयोजित की गईं। परामर्श-पत्र में निर्दिष्ट मुद्दों पर विभिन्न पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों का सार इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध-11 में दिया गया है।

3. मुद्दों का विश्लेषण

परामर्श के लिए रखे गए मुद्दे:

- 3.1 प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को मोटे तौर पर परामर्श के लिए रखा था:—
- (क) क्या टैरिफ निर्धारण में पूर्ण स्थगन होना चाहिए;

(ख) क्या विद्यमान रिजीम को इसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाना चाहिए अथवा मुद्रास्फीति के लिए आकलन तथा सीमा के लिए संदर्भ तारीख के स्थानांतरण की कार्यपद्धति में परिवर्धन किए जाने चाहिए; तथा

(ग) क्या विद्यमान रिजीम को उपभोक्ता स्तर पर विशिष्ट सीमा के लिए एक टैरिफ डिस्पेंशेसन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस विकल्प से उत्पन्न होने वाले अनेक मुद्दों को भी परामर्श के लिए रखा गया था।

चूंकि ये सभी मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हैं, अतः पणधारियों की प्रतिक्रियाएं, प्राधिकरण के निर्णय तथा उनके लिए तर्काधार के मुद्दों पर पश्चात्वर्ती पैराओं में समस्त-सम्मिलित तरीके से विचार-विमर्श किया गया है।

मुद्दों पर पणधारकों की संक्षेप में प्रतिक्रियाएं

3.2 प्रसारकों ने सामान्य तौर पर स्थगन के लिए मामला बनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि विनियमों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है, रिजीम में उस अवस्था के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए जब ऐसे विनियमों को उठाया जाएगा और उन्होंने संपूर्ण स्थगन की ओर रुख करने के लिए उदाहरणतः बेंचमार्क तथा संभावित तारीख का वर्णन किया है। मल्टी-सिस्टम प्रचालकों तथा केबल प्रचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पणधारकों के समूह ने समान रूप में क्षेत्र में विनियम जारी रखने का समर्थन किया है तथा उनकी राय में विनियम की डिग्री तथा उस समय को लेकर भिन्नता है जब तक कि ऐसा विनियम जारी रखा जाए। इस समूह ने प्रसारकों से अला-कार्टे आधार पर चैनलों की उपलब्धता का भी पुरजोर समर्थन किया है। पणधारकों के इस समूह का एक अन्य मुख्य मत यह है कि यदि मूल्यों को सब्सक्राइबर के स्तर पर ऐसी विशिष्ट सीमा के साथ विनियमित किया जाना है, जोकि उसी विकल्प के समान है जैसाकि परामर्श-पत्र में सुझाव दिया गया था, तो केबल प्रचालकों, मल्टी सिस्टम प्रचालकों और प्रसारकों के बीच कनेक्टिविटी स्तरों और राजस्व साझेदारी का अवधारण करने की एक तदनुसूची आवश्यकता रहेगी। जहां तक

उपभोक्ताओं का संबंध है, केवल दो उपभोक्ता एसोसिएशनों तथा एक-दो व्यक्तियों ने ही परामर्श-पत्र के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुल मिलाकर, कुछ अंतरों के साथ, उपभोक्ताओं का मत है कि विनियम की व्यवस्था कुछ और समय तक जारी रहनी चाहिए क्योंकि डीटीएच अभी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी इसके द्वारा केबल सेवा उद्योग में प्रभावी प्रतिस्पर्धा पैदा की जानी है। पणधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सार ट्राई की वेबसाइट www.traai.gov.in पर भी उपलब्ध है।

3.3 प्राधिकरण ने ओपन हाउसों में विचार-विमर्श के दौरान यह नोट किया कि केबल ऑपरेटर्स ने यह सुझाव दिया था कि उपभोक्ता के संबंध में व्यापक अखिल भारतीय औसत के रूप में लगभग 200/- ₹0 की एकसमान सीलिंग को मौजूदा केबल प्रभारों की वर्तमान बुनियादी वास्तविकताओं के प्रतिनिधि के तौर पर लिया जा सकता है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के बीच कनेक्टिविटी के स्तरों और राजस्व साझेदारी को निर्दिष्ट करने के लिए एक विनियम बनाया जाए। ओपन हाउस चर्चाओं के दौरान सब्सक्राइबर्स की संख्या निर्धारित करने संबंधी कुछ सुझाव भी आए थे। चूंकि सेवा प्रदाताओं और राजस्व भाजन व्यवस्थाओं के बीच कनेक्टिविटी स्तरों के निर्धारण की जोरदार मांग थी, अतः प्राधिकरण ने एक गैर-संबोधनीय (नॉन एड्रसेबल) व्यवस्था में प्रक्रिया में निहित कठिनाइयों और जटिलताओं की ओर संकेत करते हुए, ओपन हाउस बैठकों में विशाल संख्या में भाग लेने वाले केबल ऑपरेटर्स से निर्दिष्ट समाधान मांगे थे। ओपन हाउस विचार-विमर्श के दौरान यह नोट किया गया कि गैर-संबोधनीय (नॉन एड्रसेबल) व्यवस्था में कनेक्टिविटी निर्धारित करने का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है।

3.4 परामर्श-प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने से पता चलता है कि विशेष रूप से स्थगन के संदर्भ में, टैरिफ विनियम के मुद्दे पर एक ओर प्रसारकों का प्रतिनिधित्व कर रहे समूह तथा दूसरी ओर शेष पणधारकों (एमएसओ, केबल ऑपरेटर और उपभोक्ता) के बीच एक स्पष्ट मतभेद है। **ये टिप्पणियां न केवल**

विवाद के दृष्टिकोणों, जोकि भिन्न वाणिज्यिक हितों के कारण स्वाभाविक है, को प्रतिबिंबित करती हैं, बल्कि पणधारकों के समूहों के बीच पारस्परिक आस्था के संभावित अभाव की ओर भी इशारा करती है, जोकि प्रमुख रूप से समान केबल संप्रेषण की नॉन एड्जेसेबल प्रकृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। निम्नलिखित पैराग्राफों में परामर्श-प्रक्रिया में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की जांच की गई है तथा उनमें वह दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है, जो व्यवहार्य होगा तथा ऐसा टैरिफ प्रबंधन उल्लिखित है, जो वांछनीय होगा।

क. मुद्दा सं0 1: क्या टैरिफ को स्थगनाधीन रखा जाना चाहिए

3.5 इस पृष्ठभूमि में, जांच किया जा रहा पहला विकल्प केबल सेवाओं के लिए टैरिफ के क्षेत्र में स्थगन का है। स्थगन के लिए पुरजोर समर्थन प्रसारकों की ओर से आया, तथा उन्होंने अपने समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- (i) मूल्य विनियम क्वालिटी कंटेंट, निवेश प्रवाह की शुरुआत में बाधा डालता है, राजस्व को प्रभावित करता है और प्रसारकों को हानि पहुंचाता है।
- (ii) कंटेंट के स्तर पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है तथा अब तो वितरण प्लेटफार्म स्तर पर व्यापक प्रतिस्पर्धा हो गई है।
- (iii) वैश्विक रूप से, टैरिफ को नियंत्रित नहीं किया गया है, सिवाय कभी-कभार बुनियादी सेवा टियर प्रभागों के।
- (iv) टीवी चैनल तथा कंटेंट बौद्धिक संपदा के विषय हैं, तथा वे ऐसी आवश्यक वस्तु नहीं हैं, जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता हो।
- (v) नियंत्रणों को पुनः शुरू करने की शक्ति की उपलब्धता मात्र ही बाजार की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए पर्याप्त निवारक तरीका है।

(vi) यदि टैरिफ को नियंत्रित करने का निर्णय ले लिया जाता है, तो प्रतिस्पर्धा के स्तर की पर्याप्तता को अवधारित करने तथा नियंत्रणों को समाप्त करने के लिए संभावित तारीख के लिए कुछ मानदण्ड होने चाहिए।

उक्त तर्क प्रसारकों द्वारा बार-बार उठाए जाते रहे हैं तथा प्राधिकरण ने इन तर्कों पर विचार किया है और अपने रूख को पूर्व के आदेशों और विनियमों में वर्णित किया है। निम्नलिखित पैराग्राफों में इन तर्कों पर पुनः विचार किया गया है।

3.6 वर्ष 2004 के प्रारंभ में फ्री-टु-एयर चैनलों के अलावा लगभग 30 से 35 पे-चैनल थे, जब इस क्षेत्र को विनियमित करने का अधिदेश दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिया गया था। दिसम्बर, 2003 को टैरिफ को बनाए रखने के रूप में टैरिफ विनियम की व्यवस्था का स्तर उस समय तक अस्तित्व में था। जनवरी, 2004 से साढ़े तीन साल की अवधि में, नए पे-चैनलों के आगमन तथा विद्यमान फ्री-टु-एयर चैनलों को पे-चैनल के रूप में परिवर्तन किए जाने में काफी तेजी आई है। आज कुल मिलाकर 270 पे और फ्री-टु-एयर चैनल हैं जिन्हें अपलिकिंग/डाउनलिकिंग की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, लगभग 70 चैनल अपलिकिंग/डाउनलिकिंग के लिए सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह नोट किया गया है कि 28 नए पे-चैनल दिनांक 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 4 के निबंधनों के अनुसार शुरू किए गए हैं तथा 36 फ्री-टु-एयर चैनल पे-चैनलों में बदले गए हैं। अनेक नए बुके शुरू हुए हैं जिनमें औसतन प्रति बुके में 2 से 10 चैनल हैं। नए पे-चैनलों में 18 चैनल तीन प्रमुख प्रसारकों के माध्यम से आते हैं। गत 2-3 वर्षों के दौरान भारतीय टेलीविजन स्पेस में नए चैनलों की बढ़ती संख्या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रसारकों के कारोबार के भविष्य में सुधार हुआ है।

ख. मुद्दा सं0 2: क्या वितरण प्लेटफार्म स्तर पर प्रसारकों के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा

मौजूद है

3.7 अगला तर्क यह दिया गया है कि प्रसारण स्तर तथा अब डिलीवरी प्लेटफार्म स्तर पर (जैसे डीटीएच) भी बहुत प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। जहां तक प्रसारक स्तर का संबंध है, सरसरी तौर पर यह प्रतीत होता है कि यहां वास्तव में पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि एक दर्जन से अधिक प्रसारक विभिन्न विषयों में 270 चैनल प्रदान कर रहे हैं। तथापि, इस तर्क में विरोधाभास उस समय तत्काल स्पष्ट हो जाता है, जब यह नोट किया जाता है कि प्रतिस्पर्धा केवल तभी विद्यमान रहेगी जब एक चैनल को आसानी से दूसरे चैनल में प्रतिस्थापित कर दिया जा सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक चैनल के साथ उसकी कुछ अनूठी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं जो उसके कंटेंट के कारण हैं, भले ही वह समान विषय को हो। अतः लोकप्रिय धारावाहिक दिखाने वाले किसी टीवी चैनल विशेष को दूसरे चैनल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और लोकप्रिय कार्टून दिखाने वाला बच्चों का चैनल किसी दूसरे बच्चों के चैनल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। कंटेंट का यह अनूठापन, प्रसारक बुकों का निर्माण करते समय ग्रहण कर लेते हैं और इसे एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को बेच देते हैं।

3.8 जहां तक डिलीवरी प्लेटफार्म स्तर पर प्रतिस्पर्धा का संबंध है यह कहना कुछ जल्दबाजी होगी कि डीटीएच केबल टीवी को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। देश के लगभग 71 मिलियन केबल और सेटेलाइट घरों में से, केवल लगभग 3.5 मिलियन घर ही इस समय पे-डीटीएच सेवाएं खरीद रहे हैं। और यह भी इस समय विशाल नगरों तक सीमित है। अधिकांश रूप से तो अंतिम केबल ऑपरेटर ही अपने प्रचालन क्षेत्र में कंटेंट वितरण में वास्तव में एकाधिकार रखता है। अतः सब्सक्राइबर स्तर पर डिलीवरी प्लेटफार्मों में शायद ही कोई चुनाव बचता है। इसी संदर्भ में अन्य देशों की विनियामक प्रक्रियाएं भारतीय स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उन्नत देशों के ग्राहकों के पास केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी जैसे वितरण प्लेटफार्मों के रूप में कहीं अधिक विकल्प चुनाव के लिए मौजूद हैं। वितरण प्लेटफार्मों के रूप में बहुत

अधिक विकल्पों में से चयन करने के अलावा विकसित देशों के सब्सक्राइबर के पास अंतिम केबल ऑपरेटरों की विशाल संख्या में से चुनाव करने का प्रभावी विकल्प भी मौजूद है।

ग. मुद्दा सं0 3: विनियम बनाम स्थगन

3.9 इसके बाद, स्थगन की मांग के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि टेलीविजन मनोरंजन एक अनिवार्य वस्तु नहीं है। तथापि, इसमें भी कुछ दम नहीं है क्योंकि किसी वस्तु या सेवा को विनियमित करने या न करने का निर्णय बाजार में प्रतिस्पर्धा के विश्लेषण से उद्भूत होता है। भारत में केबल टीवी सेवा में बाजार की विफलता पर, प्राधिकरण समय-समय पर बाजार की सर्वेक्षण कर रहा है। वस्तुतः विनियम की सीमा और तरीके का निर्णय करने में बाजार की विफलता की सीमा का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण आदान है। प्राधिकरण द्वारा 31 अगस्त, 2006 के कैंस क्षेत्र में केबल सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में केबल टीवी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को संक्षेप में दिया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

"2(ii) विनियम का मूलभूत सिद्धांत है कि बाजार की शक्तियों को काम करने दिया जाए तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, जहां कहीं विनियामक यह समझता है कि बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा के लिए विनियामक हस्तक्षेप अपेक्षित है। इस टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देते समय प्राधिकरण द्वारा इस मूलभूत सिद्धान्त को ध्यान में रखा गया है। प्राधिकरण बाजार की गतिविधियों पर नजदीकी नजर रखेगा और जैसे की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी टैरिफ प्रणाली की समीक्षा पर विचार किया जाएगा।

(iii) कीमतों का विनियमन तब सही है जब बाजार प्रतिस्पर्धी कीमतों को सृजित करने में सफल न हो। जब बाजार प्रतिस्पर्धी हो तथा वह सुचारू रूप से काम करने लगे तो इससे "कुशल" कीमत प्राप्त होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस कुशल आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति के लिए बाजार को कई शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा। इनमें शामिल हैं: बाजार में अनेक आपूर्तिकर्ता तथा उपभोक्ता हों तथा कोई भी इतना बड़ा न हो जो कीमतों को प्रभावित कर सके। बाजार में प्रवेश तथा बाजार से निकलने की स्वतंत्रता हो। जहां ये सभी शर्तें मौजूद न हों वहां बाजार सामान्यतौर पर इष्टतम परिणाम नहीं देगा। ऐसी स्थिति में सामाजिक कल्याण के कार्य में सुधार लाने के लिए विनियामक द्वारा हस्तक्षेप करना युक्तिसंगत है। किसी बाजार में कीमतों का विनियमन शुरू करना एक ऐसा हस्तक्षेप है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण आवश्यक है। बाजार की ऐसी विफलता के कई कारक हैं।

(iv) भारत में केबल टेलीविजन के बाजार में पहले से ही प्रभावी प्रतिस्पर्धा तथा ग्राहकों के लिए विकल्प की कमी रही है। केबल सेवा जिसमें अंतिम छोर पर स्थित परिचालन होता है, इसमें कुछ ऐसे प्रभावी प्रसारक तथा बड़े मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) हैं, जिनमें से कुछ के वर्टीकैली इन्टिग्रेटेड काम हैं, जिसके परिणामस्वरूप सप्लाय श्रृंखला में विभिन्न व्यक्तियों की मोलभाव की शक्ति भी असमान है।"

ट्राई ने हाल ही में एक बाजार सर्वेक्षण किया है कि जिसमें यह पता चलता है कि वृहत स्तर पर दिसम्बर, 2006 में सब्सक्राइबर के लिए औसत मासिक केबल बिल में भारी अंतर है क्योंकि कोच्चि में यह 149/-रु0 और शिलांग में 322/-रु0 है, यद्यपि प्रदान की जा रही सेवाओं में ऐसे किसी अंतर की अपेक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें किसी कॉलोनी या किसी सब्सक्राइबर के लिए मनमाने तरीके से केबल प्रभारों में वृद्धि कर दी गई हो। इससे वृहत और लघु, दोनों, स्तरों पर बाजार की असफलता का पता चलता है। इसी तर्ज पर, ट्राई द्वारा किसी भी समय विनियमित करने और हस्तक्षेप करने की शक्ति की उपलब्धता मात्र ही एक निवारक

कदम साबित नहीं हुई और यह ऊपर उल्लिखित प्रकार के बाजार विपणन को नहीं बचा पाया।

3.10 इससे हम अग्रिम तौर पर उपयुक्त बेंचमार्को तथा 'सनसेट क्लॉज' का संकेत देकर टैरिफ स्थगन को लाने हेतु शर्तें निर्धारित करने के मुद्दे पर आ गए हैं। प्राधिकरण एक ऐसी प्रणाली की ओर अग्रसर होने की जरूरत के प्रति सचेत है जिसमें विनियामक का हस्तक्षेप मामूली हो और केवल तभी हो जब इसकी जरूरत हो। प्राधिकरण यह भी समझता है कि एक गैर-विनियमित प्रणाली की ओर अग्रसर होने की वचनबद्धता को समय-सीमाओं और विभिन्न समय पर लक्ष्यों के संदर्भ में एक सुस्थापित फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित किए जाने की जरूरत है। किंतु, दूसरी ओर, यह बात भी ध्यान में रखी जाए कि एक सु-परिभाषित फ्रेमवर्क को निर्धारित करने का समय तभी सार्थक सिद्ध होगा जब टैरिफ स्थगन को उचित ठहराने वाली स्थितियों में कुछ प्रगति दिखाई गई हो। अतः ऐसे समय में जब कुल 71 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से केवल 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर डीटीएच सेवाओं की भुगतान पहुंच प्राप्त करते हों, और केबल टीवी पर सर्शत उपागम प्रणाली के अंतर्गत केवल 0.5 मिलियन लोग ही कवर किए गए हों, तो ऐसा करना जल्दबाजी ही होगी।

3.11 उपर्युक्त विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि केबल टीवी क्षेत्र अभी परिपक्वता के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जो पूर्ण स्थगन लाने हेतु विश्वास प्रदान कर सके। किसी एड्रेसिबिलिटी के अभाव में जो उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करता है, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावी है। इसके साथ-साथ, प्राधिकरण का यह भी कहना है कि ट्राई प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर स्थगन और गैर-विनियमन प्रणाली को लाने के प्रति कटिबद्ध है। ट्राई द्वारा इस मॉडल का अनुसरण दूरसंचार क्षेत्र में काफी सफल रहा है जहां पर टैरिफ लगभग स्थगन के अधीन है। केबल टीवी और प्रसारण क्षेत्र के लिए भी ट्राई द्वारा 1.10.2004 को की गई

सिफारिशों में यह कहा गया है कि एक बार प्रभावी प्रतिस्पर्धा होने के बाद टैरिफ विनियमों पर से नियंत्रण हटा लिया जाएगा।

3.12 प्राधिकरण इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के उपाय शुरू करने के हर अवसर का प्रयोग कर रहा है। निम्न बातें इस संबंध में ट्राई के प्रयासों का प्रमाण है:—

(i) स्थलीय टेलीविजन प्रसारण पर अपनी सिफारिश में, ट्राई ने विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाए।

(ii) चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के कुछ भागों में कैंस लागू करने के बाद, ट्राई ने तीनों महानगरों के शेष भागों में इसका विस्तार करने की सिफारिश की है।

(iii) ट्राई एक सुस्पष्ट समय-सीमा के भीतर और 55 शहरों में कैंस के विस्तार के लिए डिजिटलीकरण तथा कैंस की स्वैच्छिक शुरुआत संबंधी एक ग्रुप की रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

(iv) ट्राई ने “हैड एंड इन द स्काई (हिट्स) ” हेतु एक फ्रेमवर्क की सिफारिश करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे एक ही बार में सारे भारत में एड्रेसिबिलिटी के साथ केबल ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण हो सकेगा।

(v) ट्राई बाधाओं को दूर करने की सिफारिश करके आईपीटीवी को प्रोत्साहन देने के तरीकों की भी जांच कर रहा है।

(vi) मोबाइल टीवी को बढ़ावा देने हेतु अलग से एक परामर्श-पत्र परिचालित किया गया है।

(vii) अंत में, अंतरसंयोजन विनियम जारी किए गए हैं जिससे डीटीएच ऑपरेटरों के लिए विषय-वस्तु प्राप्त करना और अधिक आसान बना दिया है और इस प्रकार वे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे।

3.13 प्राधिकरण का प्रयास प्रतिस्पर्धा में सहायता करने और विनियमों की व्यवस्था को समर्थ बनाना है। प्रसारण और केबल क्षेत्र में ऐसा तब होगा जब पणधारकों के साथ-साथ उपभोक्ता भी इस बात से आश्वस्त हों कि स्व-सुधार हेतु एक उपयुक्त तंत्र होने से बाजारी शक्तियां प्रतिस्पर्धात्मक कीमते पैदा करने में प्रभावी हैं।

घ. मुद्दा सं० 4: क्या विद्यमान टैरिफ आदेश में वर्तमान व्यवस्था को संशोधन/संशोधन के बिना जारी रखा जाना चाहिए

3.14 परामर्श-पत्र में विचारित दूसरा विकल्प वर्तमान टैरिफ व्यवस्था को संशोधन के साथ या उसके बिना जारी रखना था। 15.1.2004 के पहले टैरिफ आदेश के संदर्भ में, एक अंतरिम उपाय के रूप में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए टैरिफ पर रोक शुरू की गई थी। तदन्तर, 1.10.2004 के टैरिफ आदेश में नए पे-चैनलों के प्रवेश की गुंजाइश रखी गई थी, ताकि विषय-वस्तु की वृद्धि और विभिन्नता के अवसर अवरूद्ध न हो जाएं। एक गैर-एड्रिसेबल प्रणाली में, जिसमें उपभोक्ताओं के पास एक चैनल को लेने या उसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है, यह भी जरूरी था कि सीमा, जिसकी दिनांक 15.1.2004 के टैरिफ आदेश में व्यवस्था की गई है, की पवित्रता को सुरक्षित रखा जाए और ऑपरेटर्स के माध्यम से पे-चैनलों के द्वारा सब्सक्राइबर्स को ज्यादा विविधता उपलब्ध कराई जाए। तदनुसार, 1.10.2004 के टैरिफ आदेश में यह व्यवस्था है कि नए पे-चैनल या तो व्यक्तिगत तौर पर अथवा बुके एक भाग के रूप में एकल आधार पर प्रदान किए जाएं। टैरिफ आदेश में यह भी व्यवस्था है कि नए चैनलों/बुके की दरें विद्यमान समान चैनलों/बुके के बराबर ही होंगी। मूल्यवृद्धि के समायोजन हेतु 1.12.2004 के टैरिफ आदेश के तहत केबल प्रभागों की सीमा में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई। तथापि माननीय टीडीएसएटी ने दिनांक

29.11.2005 के संशोधन आदेश के तहत 1.1.2006 से प्रभावी होने वाली परवर्ती 4 प्रतिशत की वृद्धि पर रोक लगा दी और यह मामला 21.12.2006 को निपटा दिया गया, जिससे ट्राई को भविष्य के लिए उचित निर्णय की अनुमति मिल गई। इसके अलावा, जब प्रधान आदेश को वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स पर लागू करने का मुद्दा उठा तो प्राधिकरण ने सोच समझकर यह राय व्यक्त की कि कतिपय प्रकार की वाणिज्यिक स्थापनाओं को संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें टैरिफ आदेश के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा।

3.15 वर्तमान टैरिफ आदेश को लागू करने का अनुभव यह दर्शाता है कि हालांकि आम तौर पर यह केबल टीवी क्षेत्र में अनुशासन लाने में सफल हुआ, इसमें यह खामियां भी पाई गईं:

(i) टैरिफ आदेश में वितरण श्रृंखला के तीन स्तरों (अर्थात् एमएसओ, केबल ऑपरेटर्स और सब्सक्राइबर्स) में से किसी भी स्तर पर किसी विशिष्ट सीमा के बारे में नहीं बताया गया है। इसकी बजाय, इसमें केवल यह बताया गया है कि 26.12.2003 की स्थिति के अनुसार पणधारकों द्वारा तीन स्तरों में से प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे भुगतान की दरों को बढ़ाया नहीं जाएगा। सामान्य सब्सक्राइबर को इन प्रावधानों को अपने संदर्भ में लागू करना मुश्किल लगा क्योंकि अंतिम केबल ऑपरेटर द्वारा कोई बिल या रसीद जारी नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, केवल तीन वर्षों में ही पे-चैनलों की संख्या 30 से बढ़कर लगभग 100 तक पहुंच गई है। अतः 26.12.2003 की संदर्भ तारीख कम प्रासंगिक बन गई है।

(ii) जहां तक अन्य दो स्तरों (अर्थात् केबल ऑपरेटर और एमएसओ के बीच तथा एमएसओ और प्रसारक के बीच) पर दरों पर सीमा लगाने का संबंध है, समस्या यह थी कि किसी एड्रेसिबिलिटी के अभाव में सब्सक्राइबर आधार का सही आकलन करना मुश्किल था और, इसलिए, यदि दर पर रोक भी लगा दी जाती तो भी कुल देय राशि

का निर्धारण करना कठिन था। प्राधिकरण ने संयोजनता के विषय में 4.9.2006 को जारी अंतरसंयोजन विनियम के संशोधन में व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यदि कोई पार्टी संख्या पर विवाद करने का निर्णय लेती है तो इन दिशानिर्देशों से अधिक सहायता नहीं मिलेगी।

3.16 अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि टैरिफ व्यवस्था कैसी भी हो, सर्वप्रथम यह सब्सक्राइबर के नजरिए से इस अर्थ में पारदर्शी होनी चाहिए कि कम-से-कम उसके द्वारा देय अधिकतम राशि उसे प्राप्त हो रहे चैनलों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से और बिना किसी अस्पष्टता के निर्धारित हो। कागजातों की समुचित प्रणाली जैसे चैनलों के विवरणों को विनिर्धारित करते हुए बिल और केबल प्रचालक द्वारा ऐसी केबल सेवाओं के लिए भुगतानों के लिए प्राप्ति को भी ठीक किए जाने की आवश्यकता है। ऊपर उल्लिखित दूसरी समस्या सब्सक्राइबर आधार से संबंधित है और गैर-एड्रेसेबल एनालॉग प्रणाली में संपर्कता असाध्य है और इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में बाद में इस पर अलग से चर्चा की गई है।

3.17 प्राधिकरण संदर्भ तारीख के संशोधन तथा केबल प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली केबल सेवाओं की रसीद और समुचित बिल रखने के लिए प्रस्ताव में मेरिट पाता है।

ड. मुद्दा सं0 5: उपभोक्ता स्तर पर टैरिफ सीमा तथा संबंधित मुद्दे

3.18 यह हमें परामर्श-पत्र में दिए गए तीसरे विकल्प पर ले आता है जो सब्सक्राइबर स्तर पर संपूर्ण निर्बंधनों पर एक टैरिफ सीमा नियत करने का अनिवार्यतः प्रस्ताव करता है। ऐसा प्राप्त चैनलों की संख्या के संबंध में किया जा सकता है, और/अथवा शहरों, नगरों और बस्तियों को पृथक श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करके तथा उनके लिए अलग-अलग दरें नियत करके किया जा सकता है। ओपन हाउस चर्चाओं में अनेक एमएसओ और केबल प्रचालकों तथा अनेक उपभोक्ताओं ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। तथापि,

एमएसओ और केबल प्रचालकों ने यह भी कहा कि सब्सक्राइबरों को सीमा दरों पर अथवा उससे कम दर पर अपेक्षित संख्या में चैनल वितरित करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए, यह आवश्यक होगा कि प्रसारकों को एक उपयुक्त तरीके से प्रस्तावित टैरिफ रिजीम के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए ताकि एमएसओ और केबल प्रचालक सही मूल्यों पर कंटेंट को प्रदान करने में समर्थ हो सकें। प्राधिकरण उपभोक्ताओं, एमएसओ तथा केबल प्रचालकों द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए सुझावों में पर्याप्त योग्यता पाता है। तथापि, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व केवल टीवी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करनी लाभप्रद होगी जिसका टैरिफ मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

च. मुद्दा सं० 6: प्रसारकों द्वारा बुके मूल्य का मूल्य अवधारण

3.19 ऐसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो इस देश के केबल टीवी क्षेत्र में अदभुत ही हैं। इनमें से पहला प्रसारक द्वारा बुके मूल्य—निर्धारण तथा एमएसओ/केबल प्रचालकों द्वारा सब्सक्राइबरों को बंडल रूप में पश्चातवर्ती पुनःसप्रेषण से संबंधित है। दूसरा मुद्दा है प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल प्रचालकों के बीच भुगतान के प्रयोजनों के लिए सब्सक्राइबर अथवा कनेक्टिविटी का निर्धारण, जिस पर पहले भी संक्षेप में चर्चा की गई है। इन पर नीचे चर्चा की गई है।

3.20 प्रसारकों द्वारा प्रायः अनुपालन की जा रही बाजार नीति ऐसी है, जहां प्रसारक वैयक्तिक चैनलों के बुके बनाता है तथा उसके बाद वैयक्तिक चैनलों की अला—कार्टे दरों पर भारी छूट देकर उस बुके की कीमतों को अत्यधिक आकर्षक बनाया जाता है। प्रायः चैनल अला—कार्टे आधार पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। जबकि थोक में छूट प्रदान करने में कुछ भी गलत नहीं है, जोकि एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है, समस्या तब शुरू होती है जब बुके में कभी—कभी केवल एक या दो ही लोकप्रिय चैनल होते हैं, जबकि बुके के बाकी चैनल एमएसओ, केबल प्रचालकों तथा सब्सक्राइबरों द्वारा “धन की वसूली” के रूप में नहीं देखे जाते हैं। उस समय, एमएसओ और केबल प्रचालकों

को समस्त बुके लेने के लिए मजबूर किया जाता है अन्यथा उन्हें लोकप्रिय चैनल एक साथ देने से इंकार कर दिया जाता है। इसमें स्थिति और भी खराब तब हो जाती है, जब एमएसओ तथा केबल प्रचालकों को उस तरह भुगतान करना पड़ता है, मानो बुके के समस्त चैनल समस्त सब्सक्राइबर बेस द्वारा देखे जा रहे हैं, जबकि वास्तव में केवल लोकप्रिय चैनल को ही अधिकतम लोग देखते हैं। यह विपणन नीति, जोकि बुके पर आधारित है, वैयक्तिक चैनलों की तुलना में बुके के “ विकृत मूल्य-निर्धारण ” के आधार पर चलती है। इसके परिणामस्वरूप, समस्त लागत सब्सक्राइबर पर थोप दी जाती है। वास्तव में, एक गैर-एड्रसेबल परिवेश में, सब्सक्राइबर किसी भी तरीके से व्यक्तिगत चैनलों को चुनने की स्थिति में नहीं है। तथापि, एमएसओ और केबल ऑपरेटर्स को अपने स्थानीय ज्ञान के आधार पर यह निर्णय लेने की सीमित आजादी है, कि उनके क्षेत्र या स्थान में उनके ग्राहक कौन कौन से चैनलों को चाहते हैं (या नहीं चाहते हैं), प्रसारकों की बुके आधारित विपणन रणनीति से वंचित कर दिया जाता है। यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी विपणन रणनीति बनाने के क्या कारण हैं। इसका उत्तर इस तथ्य में है कि प्रसारक के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत विज्ञापन है और सामान्य सब्सक्राइबरों द्वारा प्रदत्त अंशदान राजस्व मात्र एक लघु स्रोत है। अतः एक प्रसारक को, अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए अपने अधिकाधिक चैनलों के लिए अपने सब्सक्राइबर आधार को बढ़ाना होगा क्योंकि विज्ञापन राजस्व सब्सक्राइबर आधार पर निर्भर होता है। अतः कम लोकप्रिय चैनलों को अधिक लोकप्रिय चैनलों के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कहना न होगा, कि सब्सक्राइबर को ही कम लोकप्रिय चैनलों के लिए अंशदान अदा करना पड़ता है।

3.21 इस समस्या का स्पष्ट हल विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसारकों को अनिवार्य रूप से अला-कार्टे आधार पर चैनल प्रदान करने ओर व्यक्तिगत चैनलों की तुलना में बुके के ‘प्रतिकूल मूल्य-निर्धारण’ को रोकने हेतु एक तंत्र होने हेतु बाध्य करना है। इस मुद्दे को पहले एक एमएसओ ग्रुप ने अपने ‘एमएसओ एलायंस’ नामक संघ के माध्यम से उठाया था। एमएसओ एलायंस के एमएसओ स्तर पर सभी नए

चैनलों के लिए अला-कार्टे विकल्प उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण गहन विचार-विमर्श के बाद एमएसओ एलायंस के इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था, आंशिक रूप से उपभोक्ताओं को अला-कार्टे के लाभ प्रदान करने की एमएसओ और केबल प्रचालकों की तकनीकी असमर्थता के कारण क्योंकि केबल नेटवर्क पर चैनलों के संप्रेषण की प्रकृति गैर-संबोधनीय थी। 31.7.2006 के टैरिफ आदेश के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 3.1के संगत भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“3.1..... ऐसी पसंद उपभोक्ता सहित वितरण श्रृंखला में निम्न स्तर पर तकनीकी रूप से उपलब्ध नहीं है।”

3.22 'एमएसओ एलायंस' के मूल प्रस्ताव, कि नए पे-चैनल केवल अला-कार्टे मोड पर ही आने चाहिए, को स्वीकार न किए जाने का दूसरा कारण यह है कि इसे नए प-चैनलों के विरुद्ध भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। इसका वर्णन व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 3.5 में किया गया है, जो 31.7.2006 को जारी टैरिफ आदेश के संशोधन के साथ संलग्न है। इसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

“3.5 समस्त उचितता के साथ प्रस्ताव पर क्रियान्वयन के लिए केवल भविष्यप्रभावी आधार पर ही विचार किया जा सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि विभिन्न अंतरालों पर दर्शाए गए चैनलों के लिए रिजीमों के तीन विभिन्न सेट होंगे। एक उसके लिए होगा जो 26.12.2003 को विद्यमान है, दूसरा उन नए पे-चैनलों के लिए होगा जो 26.12.2003 के पश्चात् आए हैं तथा तीसरा प्रस्तावित नया रिजीम होगा जो एमएसओ एलायंस के प्रस्ताव के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। रिजीमों के तीन सेटों के लिए विनियमों के तीन विभिन्न सेटों का क्रियान्वयन जटिल हो जाएगा। इस प्रस्ताव की इस आधार पर आलोचना होगी कि यह नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अनुचित है।”

3.23 एमएसओ एलायंस ने प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में एक अपील (अपील सं. 9(सी) 2006) दाखिल की और इस समय यह मामला माननीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

3.24 जैसाकि देखा जा सकता है, विकृत मूल्य-निर्धारण को अपनाने के माध्यम से अपने चैनलों की मार्केटिंग एक बुके रूप में करने की प्रसारकों की वर्तमान व्यवस्था के परिणामस्वरूप एमएसओ/केबल प्रचालकों पर थोपे जा रहे बुके में अवांछित चैनल उत्पन्न हो गए हैं। इन अवांछित चैनलों की लागत एमएसओ/केबल प्रचालकों द्वारा अंततः उपभोक्ताओं पर थोप दी जाती है। अतः सामान्य प्रत्याशा यह होगी कि प्रसारक को उनके चैनल अला-कार्टे आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए, ताकि अवांछित चैनलों के वित्तीय बोझ को टाला जा सके। परंतु तब प्रश्न यह उठता है कि क्या चैनलों की अला-कार्टे पसंद के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली वित्तीय बचत एमएसओ/केबल प्रचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी, विशेष रूप से तब, जब उपभोक्ताओं के स्तर पर अला-कार्टे पसंद उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। यह पूर्व की टैरिफ व्यवस्था में संदेहपूर्ण हो सकता है जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से बहुत पारदर्शी नहीं थी। तथापि, इस मुद्दे का परिवर्तनीय टैरिफ व्यवस्था के संदर्भ में अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है। स्थिति में अब परिवर्तन आ गया है क्योंकि—

(i) प्राधिकरण ने केबल ऑपरेटर या एमएसओ द्वारा सब्सक्राइबर्स से ली जाने वाली राशि पर एक उचित सीमा लगाने का निर्णय लिया है। इससे एमएसओ और केबल ऑपरेटर, सब्सक्राइबर्स को वित्तीय लाभ देने हेतु बाध्य हो जाएंगे। पहले यह बात नहीं थी।

(ii) अब डीटीएच से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है और जहां कहीं पर डीटीएच ऑपरेटर पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं वहां पर यह सुनिश्चित हो सकेगा कि एमएसओ और केबल ऑपरेटर सब्सक्राइबर्स को लाभ दे रहे हैं। भविष्य में यह प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ने जा रही है।

3.25 प्राधिकरण विभिन्न समय पर शुरू किए गए चैनलों के लिए टैरिफों की बहुसंख्यता की आशंका के बारे में भी सतर्क था जैसाकि उपर्युक्त पैरा 3.22 में कहा गया है। अतः सभी विद्यमान पे-चैनलों तथा नए पे-चैनलों को समान स्तर पर रखा गया है, अर्थात् इन दोनों प्रकारों के पे-चैनल बुके, यदि कोई है, के अलावा अला-कार्टे आधार पर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है।

3.26 इन परिस्थितियों के अंतर्गत, अब प्रस्तावित टैरिफ वितरण में यह व्यवस्था है कि प्रसारक, मल्टीसिस्टम प्रचालक और केबल प्रचालक अनिवार्य रूप से अला-कार्टे आधार पर चैनल प्रदान करेंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी पे-चैनल की अला-कार्टे दर नहीं है, तो प्रसारक इस टैरिफ आदेश के लागू होने की तारीख से लेकर सात दिन के भीतर उस दर की घोषणा करेंगे।

छ. मुद्दा सं0 7: संयोज्यता तथा राजस्व का मुद्दा

3.27 केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा प्रसारक को किया गया भुगतान सिगनल प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबरों की संख्या पर निर्भर करता है। तथापि, केबल ट्रांसमिशन के गैर-एड्रैसेबल एनालॉग मोड में, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा प्रसारक को बताए गए सब्सक्राइबर आधार की यथार्थता का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके फलस्वरूप, सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करना एक तोल-मोल का विषय बन गया जिसके कारण बार-बार विवाद होने लगे। इस समस्या की सीमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सब्सक्राइबर आधार निर्धारण के इस विवाद में लगभग 15 प्रसारकों, लगभग 6000 एमएसओ, और इन एमएसओ तथा लगभग 70,000 केबल ऑपरेटरों के बीच लगभग वार्षिक आधार पर बातचीत होती रहती है। इसके अलावा, 6000 एमएसओ और 70,000 केबल प्रचालकों के प्रचालन क्षेत्रों में परिवर्तनों के कारण सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि

और कमी की प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है, तथा गैर-एड्रसेबल मोड में सब्सक्राइबर आधार को किसी भी प्रकार से स्थिर करना व्यवहार्य नहीं है, जैसाकि केबल प्रचालकों तथा एमएसओ का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ समूहों द्वारा सुझाव दिया गया है। ऐसा इसलिए है कि प्रचालन के समान क्षेत्र में भी अनेक कारकों यथा, डीटीएच का विस्तार, अन्य एमएसओ या केबल प्रचालक से प्रतिस्पर्धा, या सब्सक्राइबर आधार में सामान्य परिवर्तन के कारण निरंतर बदलाव होता रहता है। इसके परिणामस्वरूप, किसी केबल प्रचालक द्वारा किसी एमएसओ को, अथवा किसी एमएसओ द्वारा किसी प्रचालक को संदाय की जाने वाली कुल राशि को स्थिर नहीं किया जा सकता है। ओपन हाउस चर्चा के दौरान संपर्कता के स्तर का निर्धारण करने हेतु कई सुझाव दिए गए। इनमें कस्बे/शहर की आबादी, बेचे गए टीवी सेटों की संख्या, गृहकर/संपत्तिकर अदा करने वालों की संख्या, बिजली के कनेक्शनों की संख्या आदि शामिल हैं। तथापि, इनमें कोई भी सुझाव व्यवहार्य नहीं है क्योंकि एक कस्बे/शहर में काफी संख्या में केबल ऑपरेटर हो सकते हैं (और बड़े शहरों में उनकी संख्या सैंकड़ों में हो सकती है)। व्यावहारिक रूप से यह असंभव है कि कोई तीसरा पक्ष देशभर के 70,000 केबल प्रचालकों के कार्यक्षेत्र हेतु वार्षिक आधार पर एक ऐसा सर्वेक्षण करे जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो।

3.28 यह सुझाव दिया गया है कि निजी एजेंसियों की दर्शक रेटिंग का प्रयोग संपर्क स्तर और राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करने हेतु किया जाए। इसकी भी जांच की गई। ऐसी एजेंसियों के काम के प्रति किसी बात न होते हुए भी, प्राधिकरण इस तरीके को अपनाने का इच्छुक नहीं है क्योंकि दर्शक संख्या और संपर्कता के बीच काफी अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्शकों का अर्थ वास्तव में चैनल देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जबकि संपर्कता का अर्थ उन सब्सक्राइबरों की संख्या से है जिन्हें एमएसओ/केबल ऑपरेटर इस बात पर ध्यान दिए बिना चैनलों के बंडल की आपूर्ति कर रहे हैं कि क्या एक सब्सक्राइबर विशेष द्वारा एक चैनल विशेष देखा जा रहा है अथवा नहीं। गैर-एड्रसेबल एनालॉग केबल ट्रांसमिशन के स्वरूप में यह अंतर नैसर्गिक

है। ये रेटिंग विज्ञापनदाताओं के लिए एक उपयोगी साधन है किंतु देशभर के हजारों ऑपरेटरों की संपर्कता का निर्धारण करने के लिए यह उपयोगी नहीं है।

3.29 जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, प्राधिकरण ने संयोज्यता के निर्धारण हेतु उपलब्ध विकल्पों की सावधानी से जांच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सुझाया गया तरीका नितांत विषयपरक है और इससे और अधिक विवाद पैदा होंगे। तदनुसार, प्राधिकरण ने पणधारकों के बीच संयोज्यता के स्तरों का निर्धारण न करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण का यह दृढ़ मत है कि इस समस्या का समाधान एड्रेसिबिलिटी को शुरू करने में निहित है जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं जैसाकि पैरा 3.12 में बताया गया है।

4. निष्कर्ष

4.1 पूर्ववर्ती विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे अधिकतम प्रभारों का उपबंध करते हुए, जिसके ऊपर सेवा प्रदाता सब्सक्राइबर से प्रभार नहीं ले सकेंगे, विद्यमान टैरिफ आदेश की विशेषताओं वाला एक टैरिफ प्रबंधन तैयार किया जाए। ऐसा उचित रूप से विद्यमान टैरिफ आदेश में संशोधन करके ही किया जा सकता है। अपेक्षित विशेषताओं और मानदंडों के बारे में कतिपय निष्कर्ष, जिनकी संतुष्टि इस टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा की जाएगी निम्नानुसार हैं:-

टैरिफ संशोधन आदेश के उद्देश्य

(i) जैसाकि उपर्युक्त पैरा 3.5 से 3.13 में स्पष्ट है, केबल टीवी क्षेत्र में परिस्थितियां अभी इतनी परिपक्व नहीं हैं कि इस स्तर पर टैरिफ स्थगन लाया जा सके। अतः फिलहाल उपलब्ध श्रेष्ठ समाधान यह है कि विद्यमान आदेश में संशोधन किया जाए

तथा विद्यमान आदेश के साथ जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध बनाए जाएं, जो कि उस सीमा तक हों जो गैर-एड्रेसेबल प्रणाली में यथासंभव हों।

(ii) अतः यह महत्वपूर्ण है कि संशोधित टैरिफ वितरण प्रणाली यथासंभव पारदर्शी हो और सब्सक्राइबर के नजरिये से आसानी से समझी जा सके। सब्सक्राइबर के पास भी टैरिफ आदेश लागू करने की शक्ति हो। इसके साथ-साथ, चूंकि पिछले तीन वर्षों में पे-चैनलों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है, 26.12.2003 की संदर्भ तारीख को भी विद्यमान स्तर तक अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है।

(iii) सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करते हुए, जैसाकि ऊपर बताया गया है, नये टैरिफ वितरण, को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व प्राप्ति के स्तरों पर ज्यादा प्रभाव न पड़े, अन्यथा निवेश हेतु अपेक्षित धनराशि के अभाव में नेटवर्क उन्नयन और डिजिटलीकरण के उद्देश्य को धक्का लगेगा, जोकि ग्राहकों के हित में भी नहीं होगा। सेवा प्रदाताओं के हित में केबल प्रभारों में कुछ वृद्धि करना भी अपेक्षित है ताकि वे सब्सक्राइबरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में समर्थ हो सकें।

(iv) संशोधित टैरिफ वितरण आदेश को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दिए हुए सब्सक्राइबर आधार के अमीर और गरीब वर्गों के बीच केबल प्रभारों (अर्थात् जितनी राशि दे सकते हों, उतनी दो) को प्रति-राजसहायता देने में वर्तमान गैर-एड्रैसेबल एनालॉग ट्रांसमिशन की विशिष्ट ताकत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

टैरिफ आदेश में समाविष्ट किए जाने वाले मानदण्ड

4.2 उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान टैरिफ वितरण के अनुभव से सीख लेने और विद्यमान गैर-एड्रैसेबल एनालॉग ट्रांसमिशन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए टैरिफ संशोधन आदेश में निम्नलिखित अवयव होने चाहिए:—

(i) स्पष्टता की दृष्टि से तथा वितरण श्रृंखला में सभी कंपनियों के लिए कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, विशेष रूप से सब्सक्राइबर्स के लिए, संदर्भ तारीख में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण ने संदर्भ तारीख को 26.12.2003 से संशोधित करके 01.12.2007 कर दिया है। प्रचलित प्रभारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि वही है जिसकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.12.2005 के इसके टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा पहले ही दे दी थी। एक उपभोक्ता संगठन द्वारा दायर की गई एक अपील पर माननीय टीडीसैट ने 4 प्रतिशत वृद्धि के इस संशोधन आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद इस अपील का निपटान माननीय टीडीसैट द्वारा दिनांक 21.12.2006 को कर दिया गया, जैसाकि इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 1.3(ख) में उल्लेख किया गया है। अब अनुमति दी गई 4 प्रतिशत तक की वृद्धि उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां प्रभार माननीय टीडीसैट के दिनांक 21.12.2006 के आदेश के बाद पहले ही बढ़ा दिए गए हैं।

(ii) इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स के हितों की पारदर्शी तरीके से रक्षा करने हेतु विशिष्ट सीमा को सही अर्थों में विनिर्दिष्ट किया जाना है। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक सब्सक्राइबर को उस अधिकतम राशि की जानकारी होगी जिससे अधिक केबल ऑपरेटर उससे नहीं ले सकता है। ये सीमाएं प्राप्त चैनलों की संख्या के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की बस्तियों (यथा-शहर, कस्बे, अर्ध-शहरी क्षेत्र आदि) से संबंधित हों। इसके साथ-साथ, ऐसे स्लैब/सीमाओं की कुल संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा इसे सामान्य सब्सक्राइबर भ्रमित हो जाएगा और इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा। ये अधिकतम मूल्य केवल उच्च सीमा है (करों को छोड़कर) जिस तक किसी विशेष स्लैब के लिए उपभोक्ता को प्रभारित किया जा सकता है। तथापि, 4 प्रतिशत की वृद्धि, जैसाकि उपर्युक्त उप-पैरा (i) में उल्लेख किया गया है, के पश्चात प्रभार किसी विशेष स्लैब के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीलिंग से कम है, तो केबल प्रचालक केवल उस राशि तक ही प्रभार लेगा, जो इस प्रकार बढ़ी है, न कि विनिर्दिष्ट सीलिंग तक। इसका वर्णन एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है जहां 1.12.007 की

स्थिति के अनुसार श्रेणी 'क' शहर का एक सब्सक्राइबर 35 एफटीए और 35 पे-चैनल प्राप्त कर रहा है तथा 150 रू0 (करों को छोड़कर) का भुगतान कर रहा है। हालांकि, अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा 235 रू0 (करों को छोड़कर) है, केबल प्रचालक उससे केवल 156 रू0 (150 रू0 + 150 का 4 प्रतिशत) तक ही प्रभारित करेगा।

(iii) सीमाएं ऐसी हों जिससे निरंतर पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके ताकि सेवा प्रदाता नेटवर्क के उन्नयन में निवेश कर सकें।

(iv) चूंकि प्राधिकरण केवल टैरिफ सीमा ही निर्धारित कर रहा है, जिससे अधिक एक केबल ऑपरेटर सब्सक्राइबरों से प्रभारित नहीं कर सकता है, सब्सक्राइबर की खरीद शक्ति के संदर्भ में प्रभार अवधारित करने के लिए केबल प्रचालक का विकल्प सीलिंग की अधिक विशेषताओं के साथ बनाए रखा गया है।

(v) ऐसे सब्सक्राइबरों, जो सीमा से कम भुगतान कर रहे हैं, के लिए सीमा के लिए केबल प्रभारों में वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में कुछ पणधारकों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि विद्यमान केबल प्रभारों में 4 प्रतिशत से अनधिक राशि द्वारा वृद्धि की जाए, जैसा कि 29.11.2005 के टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। तदनुसार, दरों में 4 प्रतिशत वृद्धि के लिए ऐसे प्रावधान का विस्तार प्रसारकों तक भी किया गया है।

(vi) प्राधिकरण इस तथ्य से भी अवगत है कि प्रसारण सेवा क्षेत्र के विकास के लिए प्रसारकों द्वारा अनवरत आधार पर नए चैनलों की शुरुआत करने अथवा एफटीए को पे तथा पे को एफटीए में बदलने के लिए एक समर्थकारी परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तथापि, नए चैनलों की दरें समान चैनलों के बराबर ही होनी चाहिए। मौजूदा टैरिफ आदेश की इस विशेषता को जारी रखने की पर्याप्त अनुमति दी गई है। इसके साथ ही, प्रसारक ऐसे नए बुके बनाने के लिए स्वतंत्र हैं जिनमें नए और पुराने, दोनों

ही चैनल हों, बशर्ते कि संशोधित टैरिफ आदेश के खंड 3(ग) की अपेक्षाओं की पूर्ति होती हो। जबकि ऐसा है, प्रसारक को, जहां तक पे-चैनलों का संबंध है, उनकी संरचना में कोई परिवर्तन किए बगैर 01.12.2007 को विद्यमान बुके ही प्रदान करना जारी रखना होगा। ऐसे विद्यमान बुके की दरें भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

(vii) टैरिफ आदेश को केबल ऑपरेटरों के लिए सब्सक्राइबर्स को बिल जारी करने तथा उसकी रसीद देने को अनिवार्य बनाना चाहिए जिससे सब्सक्राइबर किसी विवाद या शिकायत के निपटान हेतु पर्याप्त दस्तावेज सहित किसी फोरम के पास जा सके।

(viii) चूंकि केबल ऑपरेटर और एमएसओ सब्सक्राइबर्स से सीमा से अधिक प्रभार नहीं ले सकते हैं और चूंकि उन्हें अपने सब्सक्राइबर्स को इस सीमा के भीतर गुणवत्तापरक चैनल और विषयवस्तु प्रदान करना जारी रखना है, इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें सब्सक्राइबर्स के स्तर पर पर सीमा लगाने के साथ-साथ उसके अनुरूप लगातार विषय-वस्तु प्राप्त योग्य बनाया जा सके। अतः यह स्पष्ट है कि केबल ऑपरेटरों और एमएसओ पर सीमा लगाना एक प्राकृतिक उपसाध्य है, अर्थात् प्रसारकों के उन तरीकों पर भी कुछ रोक लगाए जाने की जरूरत है जिसके अंतर्गत चैनलों का विपणन किया जाता है और उन्हें एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को बेचा जाता है। जैसाकि ऊपर पैरा 3.20 से 3.22 में पहले ही बताया जा चुका है, चैनलों के विपणन की बुके पद्धति के फलस्वरूप एमएसओ और केबल ऑपरेटरों पर वित्तीय बोझ पड़ा है क्योंकि उन्हें बुके के भीतर के सभी चैनलों के लिए एक समान संपर्कता के आधार पर प्रसारकों को भुगतान करना होता है चाहे सब्सक्राइबर्स द्वारा सभी चैनल समान रूप से न देखे जाते हों। फिर इस वित्तीय बोझ को सब्सक्राइबर्स पर डाल दिया जाता है और उसे उनके मासिक केबल प्रभारों में जोड़ दिया जाता है। इसलिए, प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि प्रसारक अनिवार्य रूप से अपने चैनलों को अला-कार्टे दर पर एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को उनके अनुरोध के अनुसार उपलब्ध कराएगा। इसके

अतिरिक्त, वे चैनलों को बुके आधार पर भी उपलब्ध कराएंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसओ/केबल ऑपरेटर बुके के तर्क विरुद्ध मूल्य निर्धारण से निसहाय हुए बिना प्रभावी अला-कार्टे विकल्प प्राप्त कर पाएं, प्राधिकरण ने अला-कार्टे दरों और बुके दरों के बीच एक संबंध आदेशित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ, कैस और गैर-कैस, दोनों, क्षेत्रों में कतिपय विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के मामले में प्रयोग में लाए गए मूल्य – निर्धारण संबंधों को अपनाया जा रहा है।

(ix) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण का यह मत है कि अला-कार्टे और बुके दरों के बीच मात्र एक मूल्य-निर्धारण संबंध को ही अधिदेशित करना काफी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी किसी अपेक्षा को तब भी पूरा किया जा सकता है जब अला-कार्टे और बुके दरें वर्तमान दरों की तुलना में कई गुना बढ़ गई हों। इससे टैरिफ आदेश का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। इसलिए, प्राधिकरण ने प्रारंभ में, 1.12.2007 को विद्यमान बुके दरों में उस तारीख से शुरू हुए एक वर्ष के भीतर 4 प्रतिशत की वृद्धि को छोड़कर कोई वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी है। इसी प्रकार, ऐसे पे-चैनलों की अला-कार्टे दरें, जो 1.12.2007 को किसी बुके का भाग नहीं हैं और जिन्हें एकल आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, को भी एक वर्ष के लिए 4 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं कि विद्यमान बुके और चैनलों की दरों और अनुपलब्धता के कारण कोई व्यवधान न आए और सब्सक्राइबरों को इससे कोई परेशानी न हो। प्राधिकरण को आशा है कि प्रसारक प्रचलित दरों का सम्मान करेंगे जिन पर वे, यथास्थिति, एमएसओ, केबल प्रचालकों अथवा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा वे टैरिफ आदेश में यथाउपबंधित के अलावा दरों को नहीं बढ़ाएंगे।

(x) प्राधिकरण ने सोच-समझकर यह निर्णय लिया है कि टैरिफ आदेश के खंड 3ग के अपवाद के साथ, टैरिफ आदेश के उपबंध गैर-कैस क्षेत्रों में एड्रसेबल प्रणाली के

माध्यम से वितरित की जा रही केबल सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। इसका स्पष्टतः यह अर्थ है कि कैस और गैर-कैस क्षेत्रों में स्वेच्छा से काम कर रहे एमएसओ और केबल प्रचालक इस टैरिफ आदेश के दायरे से मोटे तौर पर तब तक बाहर रहेंगे, जब तक कि उनके प्रचालन क्षेत्र को कैस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता। इससे स्वेच्छक आधार पर कैस को लागू करने को बढ़ावा मिलेगा। तथापि, ऐसे केबल ट्रांसमिशन जो डिजिटल स्वरूप के हैं किंतु एड्रेसिबिलिटी और सशर्त उपागम के बिना हैं, वे इस टैरिफ आदेश के अंतर्गत रहना जारी रहेंगे।

टैरिफ सीमा का निर्धारण

4.3 उपर्युक्त विश्लेषण से हम टैरिफ सीमा के निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ गए हैं। ऐसा करते समय, प्राधिकरण को निम्नलिखित से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है अर्थात्:

(i) प्राधिकरण का यह मत है कि सीमा के निर्धारण हेतु हमें बस्तियों और चैनलों की संख्या की उपयुक्त मैट्रिक्स या स्लैब बनानी होगी। बस्तियों के लिए इष्टतम वर्गीकरण को तीन श्रेणियों यथा श्रेणी 'ए-1' और 'ए' शहरों, 'बी-1' 'बी-2' शहरों, और 'अन्य क्षेत्रों' में विभाजित किया जाएगा। यह वर्गीकरण मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में उपलब्ध ऐसे ही वर्गीकरण पर अनिवार्यतः आधारित होगी। दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं० 2(21)/ई.II (बी)/2004 के अनुसार ए-1, ए, बी-1 और बी-2 श्रेणियों में आने वाले शहरों/नगरों की सूची इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संलग्न है।

(ii) जहां तक एफटीए और पे चैनल स्लैब का संबंध है, प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि देश में केबल नेटवर्क अनिवार्यतः चार श्रेणियों के अंतर्गत आएगा। एक श्रेणी ऐसे केबल नेटवर्क की कम संख्या वाली की है उसे छोटे कस्बों और अर्ध-शहरी

क्षेत्रों में होते हैं और उनके पास केवल फ्री-टु-एयर चैनल होते हैं। अधिकांश केबल नेटवर्क, जो 60-80 चैनल या उससे कम चैनलों को ट्रांसमिट कर रहे हैं और जिनमें एफटीए और पे-चैनलों का सम्मिश्रण है, दूसरी और तीसरी श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे। चौथी श्रेणी उन केबल ऑपरेटर्स की है जिन्हें डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने हेतु उन्नत किया गया है और वे 80 चैनलों से अधिक चैनल ट्रांसमिट करने में सक्षम हैं।

(iii) ट्राई द्वारा किए गए एक बाजार अध्ययन से यह पता चला है कि औसत मासिक केबल प्रभार (या एआरपीयू, अर्थात् प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व) करों सहित 200/- रुपए प्रतिमाह है। मीडिया पार्टनर एशिया ने वर्ष 2007 की अपनी एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में यह बताया है कि वर्ष 2006 में एआरपीयू स्तर लगभग 160/- रुपए प्रतिमाह था। अपने वार्षिक मीडिया इवेन्ट फिक्की फ्रेम्स, 2007 के दौरान फिक्की ने यह अनुमान लगाया कि एआरपीयू स्तर 143/- रुपए प्रति माह होना चाहिए। यदि हम विभिन्न संगठनों द्वारा बताए गए इन तीन एआरपीयू का औसत लेते हैं तो हम पाते हैं कि औसत एआरपीयू कर सहित लगभग 168/- रुपए प्रति माह बैठता है। अतः प्राधिकरण का यह प्रयास है कि टैरिफ सीमा को इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि इन सीमा से उद्भूत समग्र औसत 168/- प्रति माह के आसपास हो, ताकि प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र को राजस्व हानि न हो जो आगे चलकर उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी हानिकर होगी।

(iv) दो डीटीएच ऑपरेटर्स द्वारा एक और बेंचमार्क उपलब्ध कराया गया है। एक प्रसारक 4 पैकेज प्रदान कर रहा है, जिसमें से 2 पैकेज इस टैरिफ आदेश सीमा के दो प्रमुख चैनल स्लैबों के नजदीक हैं, अर्थात् 30 या अधिक एफटीए + 30/50 तक पे-चैनल। इस प्रचालक के दो पैकेजों में, जो नजदीक हैं, उनमें से पहला है: 250/-रु. (करों सहित) में 32 एफटीए + 40 पे-चैनल, और दूसरा पैकेज 300/-रु. (करों सहित) में 34 एफटीए + 61 पे-चैनल दे रहा है। इसी प्रकार, दूसरा प्रचालक तीन पैकेज दे रहा है, जिसमें से इस टैरिफ आदेश सीमा के दो प्रमुख चैनल स्लैबों के

नजदीक वाला पैकेज है: 240/- रु. (करों को छोड़कर) में 23 एफटीए+58 पे-चैनल, और यदि तुलना के लिए करों का विभाजित किया जाता है, तो पैकेज की कीमत लगभग 300/-रु. होगी । इसके आधार पर, यह आसानी से कहा जा सकता है कि 30 एफटीए + 50 पे-चैनलों का सांकेतिक मूल्य लगभग 275/-रुपए (करों सहित) होगा।

(v) कैस दरों से भी सीमा संबंधी संकेत प्राप्त हो सकता है। कैस क्षेत्र में काम कर रहे दो मुख्य एमएसओ नियमानुसार अला-कार्टे दरें प्रदान करने के अतिरिक्त अपने पे-चैनलों का पैकेज देते समय छूट दे रहे हैं। इस प्रकार, हेथवे अपने 'फैमिली पैक' पैकेज में 34 पे-चैनलों की कीमत पर 29 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। इसी प्रकार, आईएमसीएल अपने 'ऑप्टिमाइजर' पैकेज में 31 पे-चैनल देते हुए 23 प्रतिशत की छूट दे रहा है और अपने 'सुपर सेवर' पैकेज में 31 पे-चैनल देते हुए 38 प्रतिशत की। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार अपने पैकेजों में बल्क ऑफर के रूप में पे-चैनल देते हुए 30 प्रतिशत से अधिक की औसत छूट प्रदान कर रहा है। यदि इस छूट को 30/50 पे-चैनलों हेतु 150/250 रुपए की अला-कार्टे कैस कीमत पर लागू किया जाए, तो हमें 30/50 पे-चैनलों के लिए 150/175 रुपए की छूट प्राप्त कीमत मिलती है। यदि हम उसमें 30 या अधिक एफटीए चैनलों के लिए 77/- रुपए जोड़ देते हैं तो हमें 30/50 पे-चैनलों के उदाहरण के लिए 182/252 रुपए (करों को छोड़कर) या कर सहित 231/314 रुपए की तत्स्थानी कीमत प्राप्त होती है।

(vi) संक्षेप में, सीमा निर्धारित करते समय निम्नलिखित बाजार संबंधी जानकारी उपयोगी पाई गई है:

(क) देश में एआरपीयू स्तर करों सहित लगभग 168/- रुपए प्रति माह है।

(ख) 30 एफटीए + 50 पे-चैनलों के लिए एक तुलनात्मक डीटीएच पैकेज की लागत कर सहित लगभग 275/- रुपए आएगी।

(ग) कैस क्षेत्र में एक तुलनात्मक पैकेज की लागत उदाहरणस्वरूप मामले में 30/50 पे-चैनलों के लिए 182/252 रुपए (करों को छोड़कर) या कर सहित 235/314 रुपए होगी।

4.4 केबल सेवाओं के मूल्य-निर्धारण के बारे में ट्राई द्वारा एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि विनिर्दिष्ट टैरिफ सीमा से एआरपीयू स्तर करों सहित प्रतिमाह 151.68 रुपए या 152/- रुपए होने की संभावना है। 4 प्रतिशत तक अनुमेय वृद्धि में विभाजन करने के बाद परिणामी एआरपीयू स्तर 158 रू0 होगा, जो इस टैरिफ संशोधन आदेश से पूर्व विद्यमान 168 रू0 के एआरपीयू स्तरों के समान होगा। इसी प्रकार, डीटीएच और कैस प्रचालन के संबंध में प्राप्त बाजार जानकारी (इस समय डीटीएच मुख्यतः 'ए-1 और ए' तथा 'बी-1 और बी-2' शहरों और कैस केवल चार मेट्रो में उपलब्ध कराया जा रहा है) से पता चलता है कि 'ए-1 और ए' तथा 'बी-1 और बी-2' शहरों में 200/250 और 175/210 रु. (करों को छोड़कर) की प्रधान्य टैरिफ सीमा, 275/- रु. (करों सहित) की डीटीएच की पेशकश और 182/252 रुपए (करों को छोड़कर) की कैस की पेशकश के लगभग समान ही है। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट टैरिफ सीमा सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करने तथा सेवा प्रदाताओं को राजस्व हानि के सदमें से बचाने, दोनों, नजरिए से उपयुक्त है। इसकी नजदीकी निगरानी की जाएगी और उपयुक्त समय पर समीक्षा की जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध I

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी का.ज्ञा. सं० 2(21) ई.II(बी)/2004 दिनांक 18.11.2004 के अनुसार शहरों और नगरों की सूची)

तालिका

	ए-1 क्लास शहर		ए- क्लास शहर		बी-1 क्लास शहर		बी-2 क्लास शहर
1	बंगलौर (यू/ए)	1	अहमदाबाद (यू/ए)	1	आगरा (यू/ए)	1	औरंगाबाद (यू/ए)
2	चेन्नई (यू/ए)	2	जयपुर	2	इलाहाबाद (यू/ए)	2	अलीगढ़
3	दिल्ली (यू/ए)	3	कानपुर (यू/ए)	3	अमृतसर (यू/ए)	3	अमरावती
4	वृहद मुंबई (यू/ए)	4	लखनऊ (यू/ए)	4	आसनसोल (यू/ए)	4	बरेली (यू/ए)
5	हैदराबाद (यू/ए)	5	नागपुर (यू/ए)	5	भोपाल (यू/ए)	5	बेलगांव (यू/ए)
6	कोलकाता (यू/ए)	6	पुणे (यू/ए)	6	कोयम्बटूर (यू/ए)	6	भावनगर (यू/ए)
		7	सूरत (यू/ए)	7	धनबाद (यू/ए)	7	भिवाडी (यू/ए)
				8	फरीदाबाद (यू/ए)	8	भुवनेश्वर (यू/ए)
				9	इंदौर (यू/ए)	9	बीकानेर (यू/ए)
				10	जबलपुर (यू/ए)	10	चंडीगढ़
				11	जमशेदपुर (यू/ए)	11	कटक (यू/ए)
				12	कोच्चि (यू/ए)	12	देहरादून (यू/ए)
				13	लुधियाना (यू/ए)	13	दुर्ग-भिलाई
				14	मदुरै (यू/ए)	14	गाजियाबाद
				15	मेरठ (यू/ए)	15	गोरखपुर
				16	नासिक (यू/ए)	16	गुंटूर
				17	पटना (यू/ए)	17	गुवाहाटी (यू/ए)
				18	राजकोट (यू/ए)	18	ग्वालियर (यू/ए)
				19	वडोदरा (यू/ए)	19	हुबली-धारवाड़ (यू/ए)
				20	वाराणसी (यू/ए)	20	जालंधर (यू/ए)
				21	विजयवाड़ा (यू/ए)	21	जम्मू
				22	विशाखापत्तनम (यू/ए)	22	जामनगर (यू/ए)
						23	जोधपुर
						24	कोल्हापुर (यू/ए)

						25	कोटा
						26	कोजिकोड (यू/ए)
						27	मंगलौर (यू/ए)
						28	मुरादाबाद
						29	मैसूर (यू/ए)
						30	नगर (यू/ए) (छत्तीसगढ़)
						31	पांडिचेरी (यू/ए)
						32	रायपुर (यू/ए)
						33	रांची
						34	सलेम (यू/ए)
						35	शोलापुर
						36	श्रीनगर
						37	तिरुवनंतपुरम (यू/ए)
						38	तिरुचिरापल्ली (यू/ए)
						39	तिरुपुर (यू/ए)
						40	वारंगल (यू/ए)

व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध II

निम्न पर टिप्पणियां और सुझाव देने के लिए दिनांक 21 मई, 2007 को एक विस्तृत परामर्श-पत्र जारी किया गया था:

I. इन तथ्यों को देखते हुए कि मौजूदा टैरिफ व्यवस्था की प्रभावकारिता को लेकर सवाल हैं और चूंकि गत दो वर्षों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण अन्य वैकल्पिक प्लेटफार्मों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, क्या गैर-कैस क्षेत्रों में टैरिफ का पूर्णतया स्थगन कर दिया जाना चाहिए?

II. यदि उक्त (I) का उत्तर 'हां' है तो क्या जांच और नियंत्रण की व्यवस्था करने की जरूरत है और यदि हां, तो सब्सक्राइबर्स को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किए क्या विशेष उपाय जाने की आवश्यकता होगी?

III. यदि विकल्प के रूप में स्थगन परामर्श योग्य नहीं है, तो

(क) क्या केबल ग्राहकों द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा प्रसारकों को केबल प्रभारों पर देय मौजूदा सीलिंग, जो दिनांक 26.12.2003 को मौजूद थी, को गैर-कैस क्षेत्रों के लिए बने रहने की अनुमति दी जाए और जैसा कि इस समय किया जाता है थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए वार्षिक आधार पर समायोजन किए जाएं?

(ख) यदि थोक मूल्य सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति समायोजन के लिए मौजूदा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो पूंजीगत लाभ कर के प्रयोजनार्थ आस्तियों की लागत निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली इंडेक्सिंग पद्धति एक

उपयुक्त पद्धति हो सकती है? यदि नहीं, तो अन्य किन वैकल्पिक पद्धतियों पर विचार किया जा सकता है?

- (ग) यदि उक्त (iii) (क) के विकल्प पर विचार किया जाता है, तो क्या संदर्भ तिथि को मौजूदा संदर्भ तिथि 26.12.2003 के स्थान पर 1.1.2007 कर दिया जाए और फिर नए चैनलों और वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजन आदि के लिए परिवर्तनों की अनुमति बाद में दी जाए?

IV.(क) क्या मौजूदा व्यवस्था को लक्षित उपभोक्ताओं के स्तर पर देय मासिक केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) पर समग्र सीलिंग निर्धारित करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है? यदि यह किया जाना है, तो निम्नलिखित पहलुओं के साथ कैसे निपटा जाएगा:—

- (i) क्या मासिक केबल प्रभारों पर समग्र सीलिंग परामर्श-पत्र के पैरा 2.27 में दर्शाए गए तरीके से निर्धारित की जा सकती है? क्या मासिक केबल प्रभारों पर निर्दिष्ट सीमा निर्धारित करने की कोई अन्य पद्धति है, और वह पद्धति क्या होनी चाहिए?
- (ii) क्या मासिक केबल प्रभारों पर एकल समग्र सीलिंग होनी चाहिए अथवा क्या महानगरों, शहरी क्षेत्रों और गैर-शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सीलिंग पृथक से होनी चाहिए? यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों की प्रत्येक श्रेणी के लिए यह सीलिंग क्या होनी चाहिए और यह सीलिंग कैसे तय की जाएगी? महानगरों, शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण का मानदंड या आधार क्या होगा?
- (iii) क्या मासिक केबल प्रभारों पर समग्र सीलिंग के साथ एफटीए चैनलों और पे-चैनलों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए? क्या परामर्श-पत्र

के पैरा 2.26 में निहित सुझाव को स्वीकार कर लिया जाएगा? यदि हां, तो एफटीए और पे के लिए अलग से निर्दिष्ट किए जाने वाले चैनलों की उपयुक्त संख्या क्या होगी?

(iv) यदि ऐसी समग्र सीलिंग तय की जाती है तो कैसे और किस आवधिकता पर घटित होने वाली विभिन्न बाजार घटनाओं के मद्देनजर, इनकी समीक्षा की जानी चाहिए? समग्र सीलिंग में ऐसी बाजार घटनाओं के प्रभाव को कारित करने के लिए एक उपयुक्त पद्धति सुझाई जाए।

IV. (ख) यदि उक्त (IV) (क) के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो एमएसओ द्वारा प्रसारक को और केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ को देय केबल प्रभारों के संबंध में टैरिफ निर्धारण से संबंधित क्या पद्धति अपनाई जानी चाहिए? क्या टैरिफ निर्धारण बाजार की ताकतों पर छोड़ा जा सकता है?

IV. (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर-कैस क्षेत्रों में भी प्रसारक से एमएसओ को चैनलों का पारेषण 'संबोध्य' फार्मेट में है, क्या परामर्श-पत्र के पैरा 2.25 में निहित टिप्पणियों के संदर्भ में एमएसओ के लिए अला-कार्टे चुनाव की अनुमति देना उचित होगा? यदि हां, तो थोक स्तर पर ऐसे टैरिफ विनियमन के घटक क्या होने चाहिए?

(V) क्या व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबरों की अवशिष्ट श्रेणी के संबंध में निर्णय भिन्न होने चाहिए (उनके अलावा जिनके लिए 21 नवंबर, 2006 के टैरिफ संशोधन आदेशों के संबंध में स्थगन है) या आम केबल सब्सक्राइबरों पर लागू निर्णय उनके लिए भी प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए?

2.2 विस्तृत परामर्श-पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया था ताकि पणधारक अपनी टिप्पणियां भेज सकें। टिप्पणियां भेजने की अंतिम तारीख 11.06.2007 थी। कुल 24 लिखित टिप्पणियां विभिन्न पणधारकों से प्राप्त हुईं। प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को संकलित किया गया और संक्षिप्त रूप में इसका एक सारांश ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर 18.06.2007 को रखा गया। इसके बाद जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ में 4,7,10 और 13 जुलाई को ओपन हाउस चर्चाएं हुईं।

2.3 परामर्श के लिए प्रस्तुत मुद्दों के मुख्य पहलुओं पर पणधारकों की टिप्पणियों, जिन्हें समूहवार संकलित किया गया है, का समग्र व्यापक सार नीचे दिया गया है:-

(क) सब्सक्राइबर्स / उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह

- (i) स्थगन के मुद्दे पर: कोई स्थगन नहीं होना चाहिए।
- (ii) संशोधनों सहित या उनके बिना मौजूदा व्यवस्था के जारी रहने पर:
 - मौजूदा टैरिफ व्यवस्था ने उद्योग को प्रभारों के अद्योमुखी पुनरीक्षण से बचाया है। मौजूदा टैरिफ को कम किया जाना चाहिए (वॉयस)।
 - मौजूदा सीलिंग जारी रहनी चाहिए किंतु सीलिंग सभी स्तरों के लिए एमआरपी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सीलिंग एमआरपी (उपभोक्ता के लिए) 200 रु0 है, तो एलसीओ से एमएसओ तक सीलिंग 160 रु0 (200-15%) और एमएसओ से प्रसाकर तक 136 रु0 (160-15%) होनी चाहिए (ग्राहक हितवर्धिनी)।
 - डब्ल्यूपीआई पर आधारित से दामों के स्वतः संशोधन की मौजूदा व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है।

—मूल्यवृद्धि पर केवल विशेष मांग पर ही विचार किया जाना चाहिए और वह भी उपभोक्ताओं को अपनी बात कहने का अवसर देने के पश्चात तथा मूल्यवृद्धि दो वर्षों में एक बार होनी चाहिए।

— संदर्भ तिथि को सीलिंग के निर्धारण के लिए बदलकर 1.1.07 करना उपयुक्त नहीं होगा बल्कि भ्रामक होगा।

(iii) लक्षित उपभोक्ता स्तर तथा संबंधित प्रश्नों के लिए मौजूदा व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर (कुछ प्रश्नों के संबंध में व्यक्त किए गए विचार स्पष्ट नहीं हैं और कुछ स्थानों पर विचार अंतर्विरोधी भी हैं):

— एक विशेष रूप से निर्दिष्ट टैरिफ निर्धारित होना चाहिए और जब तक डीटीएच/आईपीटीवी वास्तविक चुनौती नहीं देते नियंत्रण जारी रहना चाहिए।

— कैस का 5 रु0 मूल्य बेंचमार्क के तौर पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए और इस आधार पर रेट होना चाहिए: गांव—1 रु0; तहसील कस्बा—2 रु0; जिला शहरों में—3 रु0; राजधानियों में —4 रु0; और महानगरों में —5 रु0।

— ट्राई द्वारा प्रस्तावित सीलिंग स्वीकार्य है किंतु इसमें से मुद्रास्फीति समायोजन को घटाया जाना चाहिए। सीलिंग 200 रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा डीटीएच और कैस बिल के लिए तुलनीय होनी चाहिए (15 पे—चैनलों के लिए) देश में एकसमान सीलिंग होनी चाहिए। चैनलों की संख्या के संबंध में, 30 एफटीए और 30 पे—चैनल का सुझाव है (प्रस्तावित न्यूनतम संख्या 15 पे—चैनलों के लिए सुझाई गई 200 रु0 की सीमा के विपरीत है)।

— कुछ अन्य मासिक प्रभारों पर समग्र सीलिंग का समर्थन नहीं करते। अला—कार्टे मूल्य सहित पे—चैनल और एफटीए प्रभारों पर सीलिंग से बुके मूल्य स्वतः निर्धारित हो जाएंगे। शहरी, महानगरीय और गैर—शहरी क्षेत्रों के लिए विभेदक मूल्य अधिमान्य होंगे। यदि पे—चैनलों के अला—कार्टे मूल्य हैं तो पे—चैनलों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करना आवश्यक नहीं है।

(iv) टैरिफ की पुनरीक्षा की आवधिकता के मुद्दे पर:

— कोई पुनरीक्षा आवश्यक नहीं है, बाजार की ताकतें गतिविधियों से निपट लेंगी।

- पुनरीक्षाएं द्विवार्षिक होनी चाहिए।
- (v) एमएसओ/एलसीओ/प्रसारक के बीच टैरिफ निर्धारण के मुद्दे पर:
 - मूल्य सहित अला-कार्टे विकल्प अपनाया जाना चाहिए।
 - इसे बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
- (vi) अला-कार्टे आधार पर एमएसओ को चैनल उपलब्ध कराने के मुद्दे पर:
 - अला-कार्टे वांछनीय है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।
- (vii) व्यावसायिक सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभारित टैरिफ पर:
 - व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबर्स को भी नियंत्रणों द्वारा लाभ मिलना चाहिए। व्यावसायिक सब्सक्राइबर्स के लिए भिन्न मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

(ख) प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह

- पूर्ण स्थगन होना चाहिए। तथापि एक प्रसारक ने उपभोक्ता अंत्य मूल्य सीलिंग, जो अन्य लोगों के लिए स्थगन सहित प्रस्तावित है, का सुझाव दिया है।
- राजस्व हिस्सा बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आज भी प्रसारक/एमएसओ के बीच राजस्व भाजन केवल आपसी सहमति से किया जा रहा है।
- परामर्श-पत्र में निहित प्रस्ताव वास्तविक मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल खानापूरति के प्रयास को दर्शाते हैं। मुद्रास्फीति आधारित समायोजन बिलकुल भी उपयुक्त नहीं है और कंटेंट प्राप्त करने की बढ़ती हुई लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता।
- खेलों के प्रसारक विशाल लागत पर कंटेंट प्राप्त करते हैं और टैरिफ व्यवस्था का विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है।
- यदि मूल्य को विनियमित किया जाना है तो:–
 - मूल्य विनियम के लिए सनसेट प्रावधान होना चाहिए।

- पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी के निर्धारण के लिए मानदंडों को परिभाषित किया जाए।
- थोक स्तर पर किसी अला-कार्टे चुनाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि संबोध्य प्रणाली की अनुपस्थिति में उपभोक्ता को लाभ नहीं होगा।

(ग) मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, केबल ऑपरेटरों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह

(i) पूर्ण स्थगन के मुद्दे पर:

- समूह का सर्वसम्मत विचार इस समय पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध है।
- किंतु जिस समय-सीमा और परिस्थितियों के अंतर्गत मौजूदा टैरिफ नियंत्रण को जारी रहना चाहिए, उसके संबंध में विचार भिन्न-भिन्न हैं। ये विचार हैं:–
 - जब तक संबोधनीयता (अनिवार्य/स्वैच्छिक) आरंभ नहीं की जाती/डिजिटलाइजेशन प्रगति करता रहता है।
 - 2010 तक जब राष्ट्रमंडल खेल आरंभ होंगे।
 - जब तक डीटीएच/आईपीटीवी सेवा प्रतिस्पर्धा देने के लिए परिपक्व नहीं हो जाती।
 - जब तक स्पष्ट विनियम निर्धारित नहीं किए जाते और यह नहीं संकेतित किया जाता कि किन परिस्थितियों में प्रसारक अपने प्रभार (दर और कनेक्टिविटी) बढ़ा सकते हैं।

(ii) संशोधनों के साथ या उनके बिना मौजूदा टैरिफ व्यवस्था के जारी रहने के मुद्दे पर (विचारों में भिन्नता है और केवल व्यापक और समग्र विचार यहां दिए गए हैं):

- एक आम विचार यह है कि मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है किंतु सीलिंग कुल पे-आउट पर रेट और कनेक्टिविटी दोनों पर होनी चाहिए।
- कोई भी नया पे-चैनल अला-कार्टे आधार पर शुरू किया जाए।
- यदि प्रसारकों को किए जाने वाले कुल भुगतान पर सीलिंग नहीं लगाई जाती तो नए पे-चैनल और संवर्धित कनेक्टिविटी के कारण केबल ऑपरेटरों

और उपभोक्ता के बीच प्रीज समाप्त कर दिया जाना चाहिए
(डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल)

– मुद्रास्फीति आधारित पूंजीगत आस्ति इंडेक्स का समायोजन उपयुक्त नहीं है।

– मौजूदा व्यवस्था एक तदर्थ उपाय था और मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित समायोजन अनुपयुक्त है।

– सीलिंग की संदर्भ तिथि को बदल कर 1.1.07 करने के सुझाव पर पक्ष और विपक्ष, दोनों प्रकार के विचार हैं। संदर्भ स्थिति बदल कर 1.1.07 करने के पक्ष में जो विचार हैं उनमें भी कुछ ऊपर सुझाए गए परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिन्हें मौजूदा टैरिफ व्यवस्था में शामिल करना होगा।

(iii) मौजूदा व्यवस्था को समग्र सीलिंग द्वारा प्रतिस्थापित करने और इससे संबंधित प्रश्नों पर (विचारों में भिन्नता है और केवल व्यापक और समग्र विचार यहां दिए गए हैं):—

– हालांकि कुछ एमएसओ समग्र सीलिंग के विरुद्ध हैं और कुछ अन्य इस सीलिंग की सिफारिश करते प्रतीत होते हैं और उन्होंने ये विशेष सुझाव दिए हैं कि क्या स्लैब हो सकते हैं और उन चैनलों की संख्या क्या हो सकती है जिन्हें स्लैबों के साथ जोड़ा जा सकता है।

– कुछ ने विभिन्न क्षेत्रों और नेटवर्क के लिए चैनलों की संख्या पर आधारित विशेष सीलिंग स्लैबों का सुझाव दिया है।

– एक उद्योग पर्यवेक्षक ने कहा है कि प्रसारक और एमएसओ के बीच प्रति चैनल आधार पर एक समग्र सीलिंग नियत की जाए। चैनलों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता एफटीए के लिए हो सकती है और पे-चैनलों की संख्या सेवा प्रदाता पर छोड़ दी जाए।

– समग्र सीलिंग के विरोध में एक विचार व्यक्त किया गया है कि यदि सीलिंग को फिर भी लागू करने के लिए आवश्यक समझा जाता है तो:

- प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के बीच वितरण मार्जिन की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए।
 - प्रसारकों को एमएसओ को अला-कार्टे के चुनाव का विकल्प देना चाहिए।
 - लिंकड एफटीए/पे-चैनल की संख्या एक वर्ष के लिए वही रहनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए।
 - एमएसओ/एलसीओ को क्षेत्रीय भाषा के लिए विशेष प्राथमिकता वाले समस्त क्षेत्रों में एफटीए चैनलों की एक निर्दिष्ट एफटीए संख्या दर्शाने के लिए अधिदेशित किया जाए।
 - मूल्य विनियमन डिजिटलाइजेशन तथा संबोधनीयता की दिशा में अग्रसरता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए।
 - सीलिंग की पुनरीक्षा वार्षिक आधार पर होनी चाहिए और नए पे-चैनलों में वृद्धि अला-कार्टे आधार पर होनी चाहिए।
- (iv) प्रसारक/एमएसओ/एलसीओ के बीच देय केबल प्रभारों के निर्धारण की पद्धति पर और एमएसओ को अला-कार्टे विकल्प देने पर:
- टैरिफ निर्धारण बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
 - एक सुझाव है विशेष क्षेत्र के लिए आपसी बातचीत की मौजूदा व्यवस्था को अनुमति देना।
 - प्रसारकों को अला-कार्टे आधार पर अपने चैनल बेचने चाहिए और पे-चैनल राजस्व कैस क्षेत्र की भांति होना चाहिए अर्थात् (प्रसारकों के लिए 45%, एमएसओ के लिए 30% तथा एलसीओ के लिए 25%)
 - चैनलों का अला-कार्टे चुनाव बुकों के अलावा एमएसओ को दिया जाना चाहिए।
 - यदि बुके में भी वही चैनल लिया जाता है तो बुकों पर भी अला-कार्टे रेट लागू होने चाहिए।

- बुके मूल्य और बुके में एक चैनल के मूल्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक विनियम होना चाहिए।
- (v) व्यावसायिक सब्सक्राइबर्स के लिए टैरिफ की व्यवस्था:
 - व्यावसायिक सब्सक्राइबर्स द्वारा देय दरें साधारण केबल ग्राहकों वाली ही होनी चाहिए जब तक व्यावसायिक सब्सक्राइबर्स को समर्पित लाइनों से सिगनल नहीं दिए जाते या सिगनल सीधे प्रसारकों से प्राप्त नहीं किए जाते।
 - बड़े व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए रेट साधारण रेटों से तीन गुणा हो सकते हैं।
 - प्रसारकों के साथ समझौते में, एमएसओ/एलसीओ को भी पक्षकर बनाया जाना चाहिए जिनके माध्यम से व्यावसायिक ग्राहक फीड प्राप्त कर रहा है (यहां एक त्रिपक्षीय समझौता होना चाहिए)।
 - एक होटल एसोसिएशन ने टैरिफ नियंत्रण से व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबर्स (तीन सितारा होटल और इससे ऊपर) की चुनिंदा श्रेणी को बाहर रखने के हमारे निर्णय का विरोध किया है और उसे अन्यायपूर्ण व अनुचित कहा है।

अतः यह देखा जा सकता है कि हिस्सेदारों के अवबोध और विचारों में अंतर है। ओपन हाउस चर्चाओं में, जो चार स्थानों पर हुई थीं, अनिवार्यतः इन्हीं विचारों को भाग लेने वाले हिस्सेदारों ने प्रतिध्वनित किया।
